Disclaimer

The Institute has given the right of translation of the material in hindi and is not responsible for the quality of the translated version. While due care has been taken to ensure the quality of the original material. If any errors or omissions are noticed in Hindi then kindly refer with English version.

© The Institute of Chartered Accountants of India

पेपर 4: कराधान

खंड A: आयकर कानून

भाग I: वैधानिक अपडेट

आयकर कानून जैसा वित्त अधिनियम 2018 द्वारा संशोधित किया गया जिसमे 30 अप्रैल 2019 तक जारी महत्वपूर्ण अधिसूचना/परिपत्र सम्मिलित है, नवम्बर 2019 परीक्षा के लिए लागू है। नवम्बर 2019 के लिए प्रासंगिक कर निर्धारण वर्ष 2019-20 है। अध्ययन सामग्री का जुलाई 2018 संस्करण, आयकर कानून के प्रावधान पर आधारितहै जैसा वित्त अधिनियम 2018 द्वारा संशोधित किया तथा 30 अप्रैल 2018 तक जारी महत्वपूर्ण अधिसूचना/परिपत्र पर आधारित है।

30.4.2019 तक जारी महत्वपूर्ण अधिसूचना/परिपत्र जो नवम्बर 2019 के लिए प्रासंगिक है परन्तु अध्ययन सामग्री के जुलाई 2018 संस्करण में कवर नही है, को नीचे दिया है।

अध्याय 3: आय जो कुल आय का भाग नही बनती

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10AA के अन्तर्गत स्वीकार्य कटौती की गणना [परिपत्र संख्या 4/2018 दिंनाक 14-8-2018]

धारा 10AA(7) का प्रावधान के अनुसार, वस्तु अथवा सेवा (कम्पयूटर सोफ्टवेयर सहित) का निर्यात से प्राप्त लाभ वह राशि होगी जो उसी अनुपात में उपक्रम इकाई होने के नाते व्यापार के लाभ को वाहन करती है जैसे इस प्रकार की वस्तु अथवा सेवा के संबंध मे निर्यात टर्नओवर, उपक्रम द्वारा चलायी जा रही व्यापार की कुल टर्न ओवर के साथ वहन करता है।

आगे धारा 10AA के स्पष्टीकरण 1 के वाक्य (1) के अनुसार "निर्यात टर्न ओवर" का अर्थ कर निर्धारी द्वारा भारत में लायी गयी अथवा प्राप्त वस्तु अथवा सेवा की उपक्रम जो एक इकाइ है, के द्वारा निर्यात के संबंध मे प्रतिफल से है परन्तु भारत से बाहर सेवा(कम्पयूटर सोफ्ट वेयर सहित) की सेवा को प्रदान करने मे विदेशी विनिमय में उत्पन्न व्यय अथवा भारत से बाहर वस्तु की सुपुर्दगी से जुड़ा भाड़ा दूरसंचार प्रभार अथवा बीमा सम्मिलित नहीं है।

मुद्दा क्या भाड़ा, दूरसंचार प्रभार तथा बीमा व्यय धारा 10AA के अन्तर्गत स्वीकार्य कटौती को निकालते हुए इस आधार पर दोनों''निर्यात टर्न ओवर''तथा ''योग टर्न ओवर''से बाहर रखा जायेगा कि वे भारत से बाहर वस्तु की सुपुर्दगी से जुड़े हैं अति विवादपूर्ण हैं। इसी तरह, मुद्दा क्या भारत से बाहर सेवा को प्रदान करने के लिए प्रभार की धारा 10AA के अन्तर्गत स्वीकार्य कटौती की गणना करते हुए इस आधार पर ''निर्यात टर्न ओवर''तथा ''कुल टर्न ओवर''से अलग किया जायेगा कि इस प्रकार के प्रभार भारत से बाहर सेवा को प्रदान करने में परिवर्तनशील विदेशी विनिमय में उत्पन्न व्यय से जुड़े हैं अति विवादशील हैं।

विवाद को अंततः धारा 10A के संबंध में Commissioner of Income Tax, Central-III Vs. M/s HCL Technologies Ltd. (CA No. 8489-8490 of 2013, NJRS Citation 2018-LL-0424-40)में निपटाया गया।

मुद्दा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा परीक्षण किया तथा यह स्पष्ट किया गया कि उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्णय के मद्देनजर धारा 10AA के अन्तर्गत स्वीकार्य कटौती को

© The Institute of Chartered Accountants of India

निकालते हुए भाड़ा, दूरसंचार प्रभार तथा बीमा व्यय को दोनों "निर्यात टर्नओवर" तथा "कुल टर्नओवर', से अलग किया जायेगा जहां तक वे भारत से बाहर वस्तु की सुपुर्दगी से जुड़े हैं।

इसी तरह, धारा 10AA के अन्तर्गत स्वीकार्य कटौती की गणना करते हुए भारत से बाहर सेवा को प्रदान करने के लिए विदेशी मुद्रा में व्यय को दोनों "निर्यात टर्नओवर" तथा "कुल टर्नओवर" से अलग किया जायेगा।

नोट: *यद्यपि CBDT परिपत्र को पहले की धारा संख्या 10A के संबंध में जारी किया है। यह धारा 10AA के संदर्भ में भी प्रासंगिक है। तदानुसार, परिपत्र में धारा 10A के संदर्भ तथा प्रासंगिक उपधारा और उसकी स्पष्टीकरण संख्या को संशोधित किया तथा धारा 10AA के संदर्भ में तथा अनुरूप उपधारा, स्पष्टीकरण संख्या तथा स्पष्टीकरण का वाक्य को दिया गया।*

अध्याय 4 युनिट 1: वेतन

उपदान का भुगतान अधिनियम 1972 के अर्न्तत कवर नहीं कर्मचारियों के मामले में बढे हुए उपदान के संबंध में विमुक्ति के लिए अधिसूचना सीमा

धारा 10(10)(iii)के अनुसार, जहां पर एक कर्मचारी उपदान भुगतान अधिनियम 1972 के अन्तर्गत कवर नहीं है, एक कर्मचारी द्वारा अपनी सेवा निवृति पर अथवा इस प्रकार की सेवा निवृति से पहले अशक्त होने पर अथवा अपने रोजगार की समाप्ति पर प्राप्त कोई उपदान अथवा उसकी मृत्यु पर उसकी विधवा, बच्चे अथवा आश्रित के द्वारा प्राप्त उपदान निम्न सीमा में से न्यूनतम की हद कि कर से विमुक्त है:

(i) पूर्ण सेवा के वर्ष प्रत्येक वर्ष के लिए ½माह का वेतन

(ii) वास्तव में प्राप्त उपदान

(iii) निर्दिष्ट सीमा (अर्थात् केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित सीमा)

केंद्रीय सरकार ने कर्मचारियों को भुगतानयोग्य किसी उपदान की अधिकतम राशि को ध्यान में रखकर कर्मचारियों जो 29 मार्च 2018 को अथवा उसके पश्चात् सेवा निवृत हुए हैं अथवा सेवा निवृति से पूर्व अशक्त हो गये हैं अथवा उक्त तिथि को अथवा उसके पश्चात् उनकी सेवा समाप्त हो गयी है, के संबंध में धारा के 10(10)(iii) के उद्देश्य के लिए `20 लाख की सीमा निर्दिष्ट की है। वास्तव में केंद्रीय सरकार ने अपनी अधिसूचना के जरिये 29.03.2018 के प्रभाव से निर्दिष्टसीमा को `10 लाख से बढ़ाकर `20 लाख कर दिया है।

अध्याय9 : अग्रिम कर, स्त्रोत पर कर कटौती तथा स्त्रोत पर कर सग्रहंण की प्रस्तुति

"Power Finance Corporation Limited 54EC Capital Gains Bond" तथा "Indian Railway Finance Corporation Limited 54EC Capital Gains Bond" पर भुगतान योग्य ब्याज पर स्त्रोत पर किसी कर कटौती की आवश्यकता नहीं है''[अधिसूचना संख्या 27 तथा 28/2018दिनांक 18-06-2018]

धारा 193 (प्रतिभूति पर ब्याज) प्रदान करता है कि प्रतिभूति पर ब्याज के जरिये किसी आय को एक निवासी को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति नकद अथवा चैक अथवा ड्राफ्टअथवा किसी अन्य साधन में भुगतान के समय अथवा भुगतान प्राप्तकर्ता के खाता में आय

© The Institute of Chartered Accountants of India

को क्रेडिट करते समय भुगतानयोग्य ब्याज की राशि पर 10% की लागू दर से आयकर की कटौती करेगा।

धारा 193 का उपबंध का वाक्य (iib) के अनुसार, किसी सस्थान अथवा प्राधिकरण अथवा किसी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अथवा सहकारी समिति (सहकारी जमीन बंधक बैंक अथवा एक सहकारी जमीन विकास बैंक सहित) जैसा केंद्रीय सरकार इस संदर्भ मे राजकीय राजपत्र में जारी अधिसूचना के जरिये किया हो, इस प्रकार के ऋणपत्र पर भुगतान योग्य किसी ब्याज से स्त्रोत पर कटौती करने की आवश्यकता नहीं है।

तदानुसार, केंद्रीय सरकार ने अधिसूचना के जरिये निम्न को निर्दिष्ट किया है -

(i) "Power Finance Corporation Limited द्वारा जारीPower Finance Corporation Limited {PFCL}54EC Capital Gains Bondतथा

(ii) "Indian Railway Finance Corporation Limited 54EC Capital Gains Bond" issued by Indian Railway Finance Corporation Limited {IRFCL}

इस विमुक्ति का लाभ यद्यपि केवल पृष्टांकन अथवा सुर्पुदगी द्वारा इस प्रकार के बाँड के अंतरण के मामले में स्वीकृत होगा यदि अंतरणी इस प्रकार के अंतरण के साठ दिवस की अवधि के अंदर पंजीकृत डाक द्वारा RFCL/IRFCLको सूचित करता है।

वरिष्ठ नागरिकों के मामले में धारा 194Aके अन्तर्गत स्त्रोत पर कोइ कर कटौती नहीं होगी यदि ब्याज की योग राशि ` 50,000 से अधिक नहीं है[अधिसूचना संख्या 6/2018, दिनांक 6-12-2018]

धारा 194A के अनुसार प्रतिभूति पर ब्याज के अतिरिक्त ब्याज पर स्त्रोत पर कर कटौती की आवश्यकता है। यद्यपि, धारा 194A(3) इस आवश्यकता से विमुक्ति को प्रदान करता है जहां पर वित्तीय वर्ष के दौरान ब्याज का भुगतान हुआ व क्रेडिट किया गया अथवा भुगतान या क्रेडिट किए जाने की संभावना है, जो `10,000से अधिक नहीं है तथा भुगतानकर्ता एक बैंकिंग कम्पनी, बैंकिंग व्यापार में लिप्त सहकारी समिति अथवा डाक कार्यालय है। वरिष्ठ नागरिक (एक निवासी) के मामले में, इस प्रकार के मामले में स्त्रोत पर कर की गैर कटौती के लिए ` 50,000 की उच्च न्यूनतम सीमा को निर्दिष्ट किया है।

तदानुसार, धारा 194A(3) के तृतीय उपबंध के अनुसार, वरिष्ठ नागरिक के मामले में किसी भी कर की कटौती करने की आवश्यकता नहीं है जहां पर एक बैंकिंग कम्पनी, बैंकिंग व्यापार में लिप्त सहकारी समिति अथवा डाक कार्यालय के द्वारा वित्तीय वर्ष के दौरान क्रेडिट अथवा भुगतान की गई ब्याज की राशि अथवा ब्याज की राशि का योग `50,000से अधिक नहीं है। यद्यपि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के संज्ञान में यह बात आई है कि कुछ कर कटौतीकर्ता/बैंक कर कटौती कर रहे हैं चाहे जब ब्याज की राशि ` 50,000से अधिक नहीं है।

आयकर नियम 1962 का नियम 31A(5) के अन्तर्गत DGIT (सिस्टम) वापिसी के लिए दावा अथवा विवरण का जमा करने तथा सत्यापन का उद्देश्यके लिए प्रक्रिया, फोरमेट तथा मानक को निर्दिष्ट करने के लिए प्राधिकृत है तथा इस प्रकार निर्दिष्ट तरीके में वापिसी के लिए दावा अथवा विवरण का जमा करने तथा सत्यापन के संबंध में दिन प्रतिदिन प्रशासन के लिए उत्तरदायी होगा।

© The Institute of Chartered Accountants of India

तदानुसार, प्रमुख महानिदेशक आयकर (सिस्टम) ने नियम 31A(5) के अन्तर्गत CBDT द्वारा भारर्पित अधिकार के उपयोग में स्पष्ट किया कि धारा 194A के अन्तर्गत वरिष्ठ नागरिक के मामले में स्त्रोत पर कोई कर कटौती नहीं की जायेगी जहां पर वित्तीय वर्ष के दौरान इस प्रकार की आय की राशि अथवा इस प्रकार की आय की राशि का योग `50,000से अधिक नहीं है।

धारा 194A(3)((iii)(f) के उद्देश्य के लिए अधिसूचित गृह तथा नागरी विकास निगम लिमिटेड (HUDCO)[अधिसूचना संख्या 26/2019, दिनांक 20.03.2019]

धारा 194A(3)((iii)(f) प्रदान करता है किइस प्रकार की संस्थान,एसोसिएशन अथवा संस्था की श्रेणी जिसे केंद्रीय सरकार द्धारा अधिसूचित किया, को भुगतान अथवा क्रेडिट ब्याज की आय पर किसी भी कर कटौती की आवश्यकता नहीं है। तदानुसार केंद्रीय सरकार ने इस अधिसूचना के जरिये उक्त धारा के उद्देश्य के लिए HUDCOको अधिसूचित किया है।

इस अधिसूचना के परिणाम में, HUDCOको क्रेडिट अथवा भुगतान प्रतिभूति पर ब्याज के अतिरिक्त ब्याज से स्त्रोत पर कर कटौती करने की आवश्यकता नहीं है।

अध्याय 10: आय की विवरणी को फाइल करने के लिए प्रावधान तथा स्वयं कर निर्धारण

कुछ व्यक्तियों के संबंध में PAN का आबंटन करने के लिए आवेदन करने की समय सीमा [अधिसूचना संख्या 82/2018, दिनांक 19-11-2018]

धारा 139A(1) व्यक्तियों की सूची बनाता है जिन्हें PAN का आबंटन नहीं किया ताकि वे उस समयावधि में जैसा निर्धारित किया, PAN के आबंटन के लिए करनिर्धारण अधिकारी को आवेदन करे। इस प्रकार के आवेदन को करने के समय को नियम 114(3)में निर्धारित किया है।

वित्त अधिनियम 2018 ने नीचे सारणी का कॉलम (2) में (iv) तथा (v) में वर्णित व्यक्तियों को सम्मिलित करने के लिए धारा 139A(1) के अन्तर्गत कवर व्यक्तियों की सूची को बढाया जिनको PANका आबंटन नहीं किया। PAN का आबंटन के लिए कर निर्धारण अधिकारी को आवेदन कर सकते हैं। तदानुसार नियम 114(3) को PAN का आबंटन के लिए कर निर्धारण अधिकारी को आवेदन करने के लिए इस प्रकार के व्यक्तियों के लिए समय सीमा (नीचे सारणी का कॉलम (3)में संकेत दिया) को प्रदान करने के लिए इस अधिसूचना के जरिये संशोधित किया।

नीचे सारणी धारा 139A(1)में वर्णित व्यक्तियों की सूची को समाहित करती है जिन्हें PAN का आबंटन नहीं किया, PAN के लिए आवेदन कर सकते हैं तथा प्रत्येक मामले में इस प्रकार का आवेदन करने की समय सीमा है।

(1)	(2)	(3)
	PANको आवेदन करने के लिए व्यक्ति	**इस प्रकार के आवेदन को करने के लिए समय सीमा**
(i)	प्रत्येक व्यक्ति जिसकी कुल आय या किसी आय व्यक्ति की कुल आय जिसके संबंध में वह	इस प्रकार के आवेदन को करने के लिए समय सीमा कर निर्धारण

© The Institute of Chartered Accountants of India

	निर्धारती है आयकर अधिनियम में कर से गैर वसूली योग्य अधिकतम राशि से अधिक है।	वर्ष जिससे इस प्रकार की आय निर्धारण योग्य है, की 31मई को अथवा उससे पूर्व
(ii)	प्रत्येक व्यक्ति जो किसी व्यापार अथवा पेशे को चला रहा है जिसकी कुल बिक्री, टर्नओवर अथवा सकल प्राप्ति किसी गत वर्ष में ` 5 लाख से अधिक है अथवा अधिक होने की संभावना है।	उप वित्तीय वर्ष (गत वर्ष)की समाप्ति से पूर्व
(iii)	एक individual के अतिरिक्त प्रत्येक व्यक्ति जो निवासी है एक वित्तीय वर्ष में ` 2,50,000अथवा अधिक की योग में राशि की वित्तीय सौदे में प्रवेश करता है।	वित्तीय वर्ष के एक दम बाद 31 मई को अथवा उससे पहले
(iv)	प्रत्येक व्यक्ति जो उपर (iv) में संदर्भित किसी व्यक्ति का प्रबंध निदेशक, निदेशक, साझेदार, न्यासी, लेखक, फाउंडर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रमुख अधिकारी अथवा पदाधिकारी है अथवा उपर (iv) में संदर्भित इस प्रकार के व्यक्ति की तरफ से कार्यवाही करने के लिए सक्षम कोई व्यक्ति	वित्तीय वर्ष जिसमें (iv) में संदर्भित व्यक्ति उसमें निर्दिष्ट वित्तीय सौदों में प्रविष्ट होता है, के एक दम बाद की 31मई को अथवा उससे पहले

1.4.2019 को अथवा पश्चात् फाइल विवरणी में आधार संख्या का उद्धरण अनिवार्य है [परिपत्र संख्या 6/2019 दिनांक 31.03.2019]

धारा 139AA(1)(ii)के अनुसार, 01.07.2017के प्रभाव से, प्रत्येक व्यक्ति जो आधार संख्या को प्राप्त करने के लिए पात्र है, को आय की विवरणी में आधार संख्या को उद्धरित करना होगा।

सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णयों की ऋंखला में धारा 139AAकी वैद्यता को स्वीकारा है। परिणामतः 01.04.2019के प्रभाव से CBDT ने स्पष्ट किया है कि आय की विवरणी को फाइल करते हुए आधार संख्या का उद्धरण अनिवार्य है जब तक धारा 139AA(3)के अन्तर्गत जारी किसी अधिसूचना के अनुसार विशिष्ट रूप से विमुक्त ना हो इसलिए1.4.2019 को अथवा उसके पश्चात् इलैक्ट्रोनिकली अथवा हस्तगत दाखिल विवरणी को आधार संख्या को उद्धरण के बिना फाइल नहीं किया जा सकता।

निर्धारित प्राधिकरण को आधार संख्या की सूचना के लिए समय सीमा [अधिसूचना संख्या 31/2019, दिनांक 31.03.2019]

धारा 139AA(2) प्रदान करता है कि प्रत्येक व्यक्ति जिसे 1 जुलाई 2017 को स्थायी खाता संख्या का आबंटन किया तथा जो आधार संख्या को प्राप्त करने के लिए पात्र है अपने आधार संख्या को केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित तिथि को अथवा उससे पूर्व, निर्धारित प्राधिकरण को आधार संख्या सूचित करेगा।

© The Institute of Chartered Accountants of India

तदानुसार, केंद्रीय सरकार ने अधिसूचना के जरिये अधिसूचित किया है कि प्रत्येक व्यक्ति जिसे 1 जुलाई 2017 को स्थायी खाता संख्या PAN आबंटित किया है तथा जो आधार संख्या को प्राप्त करने के लिए पात्र है, 30 सितम्बर 2019 तक प्रमुख DGIT (सिस्टम) अथवा आयकर प्रमुख (सिस्टम) को अपनी आधार संख्या सूचित करेगा।

यह अधिसूचना यद्यपि उन व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों की श्रेणी अथवा किसी राज्य अथवा किसी राज्य के भाग पर लागू नहीं होंगी जो विशिष्ट रूप से धारा 139AA(3)के अन्तर्गत अलग किया गया है।

भाग II: प्रश्न तथा उत्तर

वस्तुपरक प्रश्न

I. श्री अजय को 31.3.2019 को समाप्त वित्तीय वर्षके दौरान 50 ग्राम प्रत्येक की दो सोने की जंजीर (जिसका बाजार मूल्य प्रति `1,45,000 है) का स्वामी पाया गया। परन्तु वह इन सोने की जंजीरों के अधिग्रहण पर व्यय `50,000 का ही संतोषजनक स्पष्टीकरण दे सका। धारा 115BBE के अनुसार श्री अजय–

(a) ` 1,87,200

(b) ` 2,26,200

(c) ` 1,49,760

(d) ` 1,80,960

के कर भुगतान के लिए दायी होगा।

II. एक अनिवासी श्री सुहान (आयु 35 वर्ष), ने गत वर्ष में एक2018-19मे एक भारतीय कम्पनी से `12,50,000 की लाभांश आय को अर्जित किया जिसे फ्रांस मे बैंक खाता मे सीधे क्रेडिट किया गया तथा भारतीय स्टेट बैंक में बचत खाते पर ब्याज के रूप मे `15,000 को क्रेडिट किया। यह मानकर कि उसकी कोई अन्य आय नहीं है, कर निर्धारण वर्ष2019-20के लिए भारत मे उसके हाथो में कर से वसूलीयोग्य आय की राशि क्या होगी?

(a) ` 2,55,000

(b) ` 2,65,000

(c) ` 15,000

(d) ` 5,000

III. XYZ Ltd.की दो युनिट हैं एक युनिट विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ)तथा एक अन्य युनिट घरेलू टैरिफ क्षेत्र (DTA)में है। SEZ मे युनिट ने 12.3.2012 से निर्माणी के लिए आरंभ किया तथा 15.6.2015से DTAकी युनिट मे निर्माण आरंभ किया। XYZ Ltd.की कुल टर्नओवर तथा DTA मे युनिट की टर्नओवर क्रमशः 8,50,00,000 तथा 3,25,00,000है। SEZ

© The Institute of Chartered Accountants of India

तथा DTAमे युनिट की निर्यात बिक्रीक्रमशः2,50,00,000 तथा `1,25,00,000 है तथा SEZ तथा DTAमे युनिट काशुद्व लाभ क्रमशः 80,00,000 तथा 45,00,000है। XYZ Ltd. धारा 10AA के अन्तर्गत कटौती के लिए पात्र होगा -

(a) ` 38,09,524

(b) ` 19,04,762

(c) ` 23,52,941

(d) ` 11,76,471

IV. श्री जगत पूर्वी भारत का क्षेत्र मे परिचालित मोबाइल कम्पनी Bharat Ltdका लेखा विभाग में कर्मचारी है। यह मोबाइल यंत्र के निर्माण में लिप्त है। वित्तीय वर्ष2018-19के दौरान श्री जगत द्वारा निम्न सौदे किये गये:

(i) उसने "अनुलाभ मूल्याँकन" पर सेमिनार में भाग लिया। `12,500की सेमिनार शुल्क का भुगतान Bharat Ltd.द्वारा किया गया।

(ii) मास्टर हिमांशु (श्री जगत का पुत्र) की टयूशन फीस की प्रतिपूर्ति Bharat Ltd.द्वारा की गयी। शुल्क की राशि `25,000है।

(iii) सुश्री सपना (श्री जगत की पुत्री)DPS Public School (Bharat Ltd.के स्वामित्व तथा रख–रखाव में) अध्ययन कर रही है। सुश्री सपना के लिए भुगतान टयूशन शुल्क `750माह था। इसी प्रकार के संस्थान मे शिक्षा की लागत `5,250प्रतिमाह है।

राशि की गणना करें जो कर निर्धारण वर्ष2019-20के लिए श्री जगत के हाथों मे शीर्ष वेतन के अन्तर्गत कर से वसूलीयोग्य है।

(a) ` 25,000

(b) ` 37,500

(c) ` 66,500

(d) ` 79,000

V. FX Ltdका एक कर्मचारी श्री Jha ने 15.05.2018को 60 वर्ष की आयु पूरी करली। वह वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान भारत का निवासी है तथा उसने `5 लाख (गणित) की वेतन आय अर्जित की। वर्ष के दौरान उसने लॉटरी से जीत कर `7 लाख अर्जित किये। कर निर्धारण वर्ष2019-20के लिए उसकी अग्रिम कर दायित्व की गणना करें:

(a) ` 2,20,000 + ` 8,800उपकर = `2,28,800, जोकि ` 12 लाख की कुल आय पर भुगतान योग्य कर है।

(b) ` 2,10,000 + ` 8,400उपकर = `2,18,400जोकि `7लाख की लॉटरी आय पर भुगतान योग्य कर है।

(c) ` 10,000 + `400उपकर = ` 10,400जो कि वेतन आय पर भुगतान योग्य कर है क्योंकि लॉटरी आय से स्त्रोत पर कर कटौती की गई होगी।

© The Institute of Chartered Accountants of India

(d) शून्य

VI. APM Ltd.कपड़ा उद्योग में एक अंग्रेजी कम्पनी है। वित्तीय वर्ष2018-19के अंत पर अपने अशधारकों(अधिमान तथा समता अंशधारकों) को जमा प्रमाण पत्र (बिना ब्याज) का वितरित करने का निर्णय लिया। APM Ltd. का संग्रहित लाभ का कुल मूल्य `25 लाख था। श्री A 10% अंशपूंजी को धारण करने वाला APM Ltd. का समता अंशधारक है। वित्तीय वर्ष2018-19 के दौरान श्री A ने APM Ltd. से 5,00,000मूल्य का जमा प्रमाण पत्र(बिना ब्याज)काप्राप्त किया। श्री Aके हाथों में जमा प्रमाण पत्र की प्राप्ति की करयोग्यता पर टिप्पणी करें।

(a) जमा रसीद (बिना ब्याज) के अन्य स्त्रोत से आय के अर्न्तगत `2,50,000की हद तक करयोग्य है।

(b) जमा रसीद (बिना ब्याज) अन्य स्त्रोत से आय के अर्न्तगत पूर्णरूप से करयोग्य है।

(c) जमा रसीद (बिना ब्याज) विमुक्त है क्योंकिDDT कम्पनी द्वारा भुगतान योग्य है।

(d) जमा रसीद (बिना ब्याज) पूर्ण रूप से करयोग्य है तथा सकल कुल आय में सम्मिलित किया जाएगा। परन्तु इस प्रकार की रसीद अध्याय VI Aके अर्न्तगत कटौती के रूप में स्वीकृत होगी।

VII. 65 वर्षीय श्री हरी आगरा में65 वर्षका निवासी है। वित्त वर्ष 2013-14के दौरान उसने `25 लाख में कमला नगर मे गृह सम्पत्ति का क्रय किया। यह गृह सम्पत्ति वित्तवर्ष2015-16तक उसके द्वारा स्वंय गृहण में थी। वित्तवर्ष2016-17में वह दिल्ली में शिफ्ट हो गया तथा कमला नगर स्थित गृह सम्पति श्री किशोर को किराया पर दे दी। उसकी गृह.सम्मति से आय `5 लाख प्रति वर्षथी (गणना की) वित्तवर्ष2018-19के दौरान श्री हरी ने `2.50 लाख का दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ,`10 लाख की आकस्मिक आय `3 लाख की कृषिआय तथा `4 लाख का व्यापार से लाभ अर्जित किया। उसी वर्षके दौरान उसने बिना प्रतिफल के कमला नगर में स्थित गृह सम्पत्ति को श्री मति नीलम (पुत्र की पत्नी) को अंतरित कर दिया। बाद मे गृह सम्पति से आय को वित्तवर्ष2018-19 के लिए श्री मति नीलम द्वारा प्राप्त किया गया। कर निर्धारण वर्ष2019-20के लिए सकल कुल आय की गणना करे:

(a) ` 16.50 लाख

(b) ` 21.50 लाख

(c) ` 19.50 लाख

(d) ` 24.50 लाख

VIII. कर निर्धारण वर्ष2019-20 के लिए श्री कुमार की आय/हानि का विवरण निम्न है:

विवरण	राशि (`में)
वेतन से आय (गणना)	5,20,000
स्वयं गृहण गृह सम्पत्ति से हानि	95,000
किराया सम्पत्ति से हानि	2,25,000

© The Institute of Chartered Accountants of India

धारा 35AD के अन्तर्गत निर्दिष्ट व्यापार से हानि	2,80,000
चिकित्सा व्यापार से हानि	1,20,000
दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ	1,60,000
अन्य स्त्रोत से आय	80,000

कर निर्धारण वर्ष2019-20के लिए श्री कुमार की सकल कुल आय की गणना करे:

(a) ` 4,40,000

(b) ` 3,20,000

(c) ` 1,60,000

(d) ` 4,80,000

IX. श्री पवन कॉफी की फलियों की पिसाइ तथा भूनने के व्यापार मे लिप्त है। वित्तवर्ष 2018-19के दौरान उसकी कुल आय `4.5 लाख है। श्री पवन ने कर निर्धारण वर्ष 2019-20के लिए आय की विवरणी को 3 मार्च 2020को फाइल किया। कर निर्धारण वर्ष2019-20के लिए पवन की आय की विवरणी को जमा करने में चूक के लिए भुगतानयोग्यशुल्क की गणना करें:

(a) ` 5,000

(b) ` 1,000से अधिक नहीं

(c) ` 10,000

(d) कोई शुल्क भुगतानयोग्य नहीं क्योंकि कुल आय `5,00,000से कम है।

X. श्री राणा मेरठ में निवास करने वाला भारत का निवासी है वित्तवर्ष2010-11के दौरान उसने `10 लाख में बहादुरपुर में स्थित कृषिभूमि का क्रय किया। जमीन एक क्षेत्र में स्थित है जिसकी वायु दूरी बहादुरपुर की पालिका की स्थानीय सीमा से 3 कि॰मी॰ है। इस क्षेत्र की कुल जनसंख्या गत जनगणना के अनुसार 80,000 है। वित्तीय वर्ष2018-19के दौरान श्री राणा ने 29.1.2019को अपनी जमीन श्री जीत को ` 25 लाख मे बेचा। श्री राणा ने 31.7.2019कोNHAI का बांड में`5 लाख का निवेश किया। वित्तवर्ष2010-11 तथावित्तवर्ष2018-19 के लिए लागत सफिति सूचकांकक्रमशः 167 तथा 280 है। कर निर्धारण वर्ष2019-20के लिए श्री राणा के हाथों में पूंजीगत लाभ की राशि की गणना करें:

(a) ` 3,23,353

(b) ` 8,23,353

(c) ` 10,00,000

(d) उपरोक्त में से कोइ भी नहीं

विवरणात्मक प्रश्न

© The Institute of Chartered Accountants of India

1. श्री सुनील पटनी आयु 45 वर्षने करनिर्धारण वर्ष2019-20के लिए अपनी कुल आय की निम्न विवरण को दिया:

वेतन से आय (गणना की)	26,56,000
गृह सम्पत्ति से आय (गणना)	16,90,000
स्थायी जमा रसीदों (FDRs) से ब्याज	7,34,000

उसने अध्याय VI-Aके अर्न्तगत किसी कटौती का दावा नहीं किया। आपको आयकर अधिनियम 1961का प्रावधान के अनुसार श्री पटनी की कर दायित्व की गणना करनी है।

2. एक भारतीय नागरिक श्री राजेश शर्मा (आयु 62 वर्ष) अपनी व्यापारिक यात्रा तथा घूमने के लिए लगातार भारत से बाहर यात्रा करता है। उसने 29 मई 2018 को दिल्ली हवाई अड्डा को छोड़ा जैसा उसके पासपोर्ट मे स्टॉम्प है तथा 27अप्रैल2019 को वापिस आया। वह गत वर्षसे एकदम पहले 4वर्षके दौरान 365 दिवस से कम के लिए भारत मे रहा। उसका आवासीय स्थिति का निर्धारण करें तथा निम्न सूचना से कर निर्धारण वर्ष2019-20 की कुल आय का निर्धारण करें:

   (1) एक सूचीबद्ध भारतीय कम्पनी Tilt India Ltd. के अंशो की बिक्री पर अल्पकालीन पूंजीगत लाभ `58,000है। बिक्री राशी को सिंगाापुर में उसके बैंक खाता मेंक्रेडिट किया था।

   (2) एक सिंगापुर आधारित कम्पनी Treat Ltdसे ` 48,000 राशि का लाभांश प्राप्त किया जिसे सिंगापुर में उसके बैंक खाता में अंतरित किया। उसने 2 अप्रैल 2018को उपरोक्त वर्णित निवेश के लिए अनिवासी भारतीय श्री अभय से धन ऋण पर लिया। गत वर्ष2018-19के लिए ऋण पर ब्याज की राशि `5,800 थी।

   (3) पंजाब नेशनल बैंक के साथ स्थायी जमा पर ब्याज की राशि `9,500को बचत बैंक खाता मेंक्रेडिट किया गया।

3. संक्षिप्त कारणों सहित परीक्षण करें कि क्या निम्न आय कर से वसूलीयोग्य है तथा आयकर अधिनियम 1961का प्रावधान के संदर्भ में कर के लिए दायी राशि है:

   (i) ड्यूटी पर अपने व्यक्तिगत व्यय को पूरा करने के लिए परिवहन विभाग में कार्यरत एक कर्मचारी श्री उत्तम प्रकाश द्वारा प्राप्त `18,000 प्रति माह का भत्ता

   (ii) गत वर्ष2018-19के दौरान भारत में निवासी श्री मति आध्या ने भारतीय कम्पनियो से लामांश के रूप में` 9,63,000का लाभांश तथा समता उन्मुख म्युचल फंड की युनिट से `4,34,000 का लाभांश प्राप्त किया।

4. एक निवासी व्यक्ति सुश्री सुहानी आयु 33 वर्षDaily Needs Ltd. का एक सहायक प्रबन्ध है। वह `48,000 प्रति माह का वेतन प्राप्त कर रही है। गत वर्ष2018-19दौरान उसने अपने नियोक्ता से निम्न राशि को प्राप्त किया।

   (i) मंहगाई भत्ता (मूल वेतन का 10% जो सेवा निवृति लाभ का भाग बनता है)

   (ii) `52,000की राशि का गत वर्ष2017-18का बोनस जो 30 नवम्बर 2018 को प्राप्त किया।

© The Institute of Chartered Accountants of India

(iii) चिकित्सा व्यय को पूरा करने के लिए `48,000 का निश्चित चिकित्सा भत्ता

(iv) उसे `4,900की राशि अपने पर आश्रित पिता का चिकित्सा बिल की प्रतिपूर्ति प्राप्त हुई।

(v) सुहानी को निम्न प्रदान किया गया;

- कार्यालय तथा व्यक्तिगत दोनों उपयोग के लिए लेपटॉप। लेपटॉप को `35,000 में1 जून 2016 को कम्पनी द्वारा अधिगृहित किया।
- ` 5,000 का मासिक वेतन पर घरेलू नौकर जिसकी उसके नियोक्ता द्वारा प्रतिपूर्ति की गयी।

(vi) Daily Needs Ltd. ने सुश्री सुहानी के द्वारा ऑप्शन की उपयोग की तिथि पर `280 प्रति अंश की उचित बाजार मूल्य के विरूद्व `170की दर से अक्टूबर 2018 माह मे 700 समता अंशो का आबंटन किया उचित बाजार मूल्य की गणना अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित तरीके के अनुसार की गयी।

(vii) `2,200का पेशेवर कर (जिसमें से `1,400का नियोक्ता द्वारा भुगतान किया)

कर निर्धारण वर्ष2019-20के लिए सुश्री सुहानी के शीर्ष"वेतन" के अन्तर्गत आय की गणना करें।

5. श्री विहान कर निर्धारण वर्ष2019-20के दौरान भारत मे निवासी परन्तु असाधारण निवासी है। वह गत वर्ष2018-19के लिए अपनी गृह सम्पति से संबंधित आय/व्यय के संबंध मे निम्न सूचना को देता है:

- उसके दो घर हैं एक सिंगापुर में है तथा अन्य पुने मे
- सिंगापुर के घर को किराया पर दिया जिसका किराया SGD 4,000 प्रतिमाह है। समस्त किराया भारत मे प्राप्त किया जाता है। उसने वहां SGD 1250 की सम्पत्ति कर तथा SGD 750 के सीवरेज कर का भुगतान किया (1SGD=` 51)
- पुने का घर स्वयं गृहण है। उसने घर का निर्माण के लिए 1 जून 2014को 12%की दर से ` 25,00,000 का ऋण लिया। निर्माण 31 मई 2016 को पूर्ण हुआ तथा 1 जून 2016को गृह का गृहण किया।

  समस्त ऋण 31 मार्च 2019 को अदत है। द्वितीय गृह के संबंध मे ` 2,800का सम्पत्ति कर का भुगतान किया।

कर निर्धारण वर्ष 2019-20 के लिए श्री विहान के हाथो में गृहसम्पति से आय के अन्तर्गत वसूली योग्य आय की गणना करें।

6. श्री चिराग ने 18 मई 2018 को आन्ध्राप्रदेश राज्य का अधिसूचित पिछड़ा क्षेत्र मे बैंकिंग क्षेत्र की निर्माण इकाइ को स्थापित किया। गत वर्ष2018-19के दौरान उसके द्वारा निम्न मशीनरी का क्रय किया (15% ब्लॉक के अन्तर्गत आती है)

		राशि

© The Institute of Chartered Accountants of India

		(लाख `)
(i)	सहज लिमिटेड से उधार पर मशीनरी X,मशीनरी Y तथामशीनरी Z ली गई (स्थापना तथा उपयोग क्रमशः 18 जुलाई 2018, 25जुलाई 2018 तथा 1 अगस्त 2018को आरंभ किया) नैट बैकिंग के द्वारा सहज लिमिटेड को 15 अप्रैल 2019 को भुगतान किया।	58
(ii)	Swayam Limited से मशीनरी (8 अगस्त 2018को स्थापित) इंवायास का उसी दिवस को नकद भुगतान के जरिये भुगतान किया।	35
(iii)	Sunshine Limited से 18दिसम्बर 2018 को मशीनरी M (सेकेंड हेंड मशीन)क्रय इंवायस का भुगतान 5जनवरी 2019को NEFT के जरिये किया)	15

कर निर्धारण वर्ष2019-20के लिए आयकर अधिनियम 1961 की धारा 32 के अन्तर्गत ह्रास भत्ता की गणना करें।

7. श्री मति युविका ने मई 2004में`80 लाख में खाली जमीन का क्रय किया तथा अन्य व्यय जमीन की लागत का 10% था। उसने वित्तीय वर्ष2006-07के दौरान `100लाख में उक्त जमीन पर आवासीय भवन का निर्माण किया।

उसने अप्रैल 2015में श्री जोहर (संबंधी नहीं) के साथ उक्त आवासीय गृह की बिक्री का समझौता किया। बिक्री प्रतिफल `700 लाख पर निशचित किया गया। श्री मति युविका ने एक समझौता कर के नकद में`20लाख अग्रिम प्राप्त किया। यद्यपि श्री जोहर की तरफ से विफलता के कारण, सौदा पूर्ण नहीं हुआ तथा अतएव, श्री मति युविका द्वारा अग्रिम की उक्त राशि को जब्त कर लिया गया।

श्री मती युविका ने 01.08.2018को फिर से `810 लाख मे उक्त गृह का समझौता किया। सहमत प्रतिफल के लिए 14-1-2019को बिक्री प्रलेख का निष्पादन तथा पंजीकरण किया। यद्यपि स्टैंप ड्यूटी उद्देश्य के लिए सम्पत्ति का मूल्य `870लाख था। श्री मति युविका ने प्राप्त बिक्री प्रतिफल पर दलाली का रूप में1% का भुगतान किया।

बिक्री के पश्चात् श्री मति युविका ने निम्न निवेश किया:

(i) 31.5.2019को `130लाख में दिल्ली का आवासीय गृह को अधिगृहित किया।

(ii) 23.3.2019को `290लाख मेंUK में आवासीय गृह को अधिगृहित किया।

(iii) 29-3-2019 को `47 लाख तथा 12-5-2019को `50 लाख मेंNHAIपूंजीगत लाभ बांड (धारा 54ECके अन्तर्गत अनुमोदित) में अभिचायन किया।

शीर्ष'पूंजीगत लाभ' के अन्तर्गत वसूलीयोग्य आय की गणना करें। विमुक्ति का चयन करनिर्धारी को सर्वाधिक लाभप्रद तरीके में होना चाहिए।

लगत स्फिति सूचकांक वित्तीय वर्ष 2004-05 – 113; वित्तीय वर्ष 2006-07 – 122; वित्तीयवर्ष 2018-19 -280

© The Institute of Chartered Accountants of India

8. श्री राघव एक चाटर्ड अकाउटेंड है तथा वर्ष2018-19के लिए पेशे से उसकी आय `15लाख है। वह वर्ष2018-19के लिए आपको निम्न सूचना प्रदान करता है।

विवरण	`
कम्पनी जमा से अव्यस्क पुत्र राहुलकी आय	1,75,000
नृत्य से अव्यस्क पुश्री रिया (पेशेवर नृतकी) की आय	20,00,000
नृत्य से अर्जित आय में से किये गये स्थायी जमा पर रिया द्वारा कैनरा बैंक से प्राप्त ब्याज	20,000
राष्ट्रीय पुरस्कार का जीतने पर श्री राघव के मित्रों से रिया द्वारा प्राप्त उपहार	45,000
गृह सम्पत्ति से हानि (गणना की)	2,50,000
अल्पकालीन पूंजीहानि	6,00,000
धारा 112के अन्तर्गत दीर्घ कालीन पूंजीगत लाभ	4,00,000
धारा 111Aके अन्तर्गत अल्पकालीन पूंजीगत हानि	10,00,000

श्री राघव की आय क्लबिंग प्रावधान पर विचार करने से पूर्व अपनी पत्नी की आय से अधिक है।

कर निर्धारण वर्ष2019-20के लिए श्री राघव की कुल आय की गणना कीजिए तथा किस हानि को आगे ले जाएगा यह मान कर कि वह प्रति वर्षदेय तिथि से पहले आयकर विवरणी को दाखिल करता है।

9. एक निवासी श्री अरिहंत आयु 40 वर्षकर निर्धारण वर्ष2019-20 के लिए गृह सम्पत्ति से आय तथा वेतन से मिलकर `7,50,000 की सकल कुल आय है। उसने निम्न सूचना प्रदान की:

दिव्यांग पुत्र की जीवन बीमा पॉलिसी के लिए प्रीमियम के लिए `70,000 का भुगतान किया (धारा 80U अपगंता) बीमित राशि `4,00,000तथा पॉलिसी की जारी की तिथि 1-8-2017

पंजाब नेशनल बैंक में अपने व्यस्क पुत्र के नाम में कर बचत जमा में`90,000 जमा किया।

स्वयं तथा उसके जीवन साथी के लिए एक मुश्त भुगतान के रूप मे 3वर्ष की अवधि के लिए चिकित्सा बीमा के लिए ` 78,000भुगतान किया। साथ में उसके पिता एक निवासी आयु 68वर्षका चिकित्सा व्यय पर `54,000का व्यय किया। उसके पिता के नाम में कोई चिकित्सा बीमा पॉलिसी नहीं ली। उसके पिता ने स्थायी जमा पर `4,50,000का ब्याज अर्जित किया।

केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ गंगा फंड में`25,000 का अंशदान किया।

करनिर्धारण वर्ष2019-20के लिए अध्याय VI-A के अर्न्तगत कुल आय तथा कटौती की गणना करें।

© The Institute of Chartered Accountants of India

10. आपको एक निवासी व्यक्ति सुश्री राधिका आयु37वर्ष की कर निर्धारण वर्ष2019-20के लिए कुल आय तथा भुगतान योग्य कर की गणना करनी है। उसने 31-3-2019को समाप्त वर्ष से संबधित निम्न विवरण को दिया:

(i)	एक टी॰वी॰ गेम शो से जीत	77,000
(ii)	पिता के भाई से प्राप्त उपहार	85,000
(iii)	अपने नजदीकी मित्र से प्राप्त उपहार	80,000
(iv)	एक साझेदारी फर्म TVA & Co.जिसमें वह साझेदार है से15% प्रतिवर्ष की दर से पूंजी पर ब्याज को प्राप्त किया।	4,50,000
(v)	जमीन के खाली प्लाट से प्राप्त किराया (शुद्व)	3,03,300
(vi)	दिल्ली पर गृह के लिए Lime Pvt. Ltd.से प्राप्त राशि जिसके लिए तीन वर्ष पहले बढ़े हुए किराए के लिए सौदेबाजी की। इसे पहले के किसी वर्ष में कर नहीं लगाया। यद्यपि,गृह को मार्च 2018में बेचा।	2,85,000
(vii)	की मैन (Key-man) बीमा पोलिसी के अर्न्तगत प्राप्त राशि	4,35,000
(viii)	खाली प्लॉट के लिए उनके द्वारा जब्त राशि क्योंकि क्रेता समझौता के अनुसार डील को पूरी नही कर सका।	3,10,000
(ix)	धारा 12AAके अर्न्तगत पंजीकृत धर्मार्थ न्यास को नकद मे दिया दान	22,000
(x)	उसके पास ढाका, बंगलादेश कृषि भूमि है। उसने उससे कृषिआय को प्राप्त किया।	5,20,000
(xi)	अव्यस्क पुत्री के नाम में सार्वजनिक भविष्य निधि	1,25,000
(xii)	वर्ष के दौरान उक्त सार्वजनिक भविष्य निधि मेंक्रेडिट ब्याज	50,900
(xiii)	एक साझेदारी फर्म TVA & Co.से प्राप्त लाभ का हिस्सा	1,50,000

आय की उपयुक्त शीर्ष के अर्न्तगत गणना करें।

11. एक निवासी व्यक्ति श्री चंद्र प्रकाश आयु 54वर्षस्वयं कर निर्धारण का भुगतान की योजना बना रहा है तथा उसने 15.12.2019को अपनी आय की विवरणी को जमा किया। उसने गत वर्ष2018-19 के लिए अपनी आय स्त्रोत पर कर कटौती तथा भुगतान अग्रिम कर का निम्न विवरण दिया:

(i) खुदरा खिलौना व्यापार जिसकी टर्न ओवर `185 लाख [अकाउंट पेची चैक द्वारा 90 लाख,50 लाख ECSके जरिये तथा शेष नकद मे प्राप्त किया] उसने धारा 44ADके अर्न्तगत मान्यता कराधान योजना को चुना।

(ii) अन्य स्त्रोत से आय–`3,05,000

© The Institute of Chartered Accountants of India

(iii) स्त्रोत पर कर कटौती–`55,000

(iv) 14-3-2019 को Advance tax paid `1,45,000

आय का अधिनियम 1961की धारा 234B के अन्तर्गत भुगतान योग्य ब्याज की गणना करें।

12. आयकर अधिनियम 1961की प्रासंगिक प्रावधान के संदर्भ मे परीक्षण करें क्या श्री शर्मा द्वारा निम्न हानि कटौती को आगे ले जाया/दावा किया जा सकता है। वित्तीय वर्ष 2018-19के संबंध में हानि/कटौती है।

(i) स्वामी के रूप मे उसके द्वारा चलाये गये व्यापार से हानि ` 9,80,000(गणना की)

(ii) गैर अवशोषित ह्रास` 3,25,000 (गणना की)

(iii) गृह सम्पत्ति से हानि ` 50,000 (गणना की)

श्री शर्मा के लिए विवरणी को फाइल करने की धारा 139(1) के अर्न्तगत देय तिथि थी 31 जुलाई 2019 यद्यपि उसने 25.9.2019 को विवरणी फाइल की।

सुझाया उत्तर

वस्तुपरक प्रश्न

I. (a)
II. (d)
III. (b)
IV. (d)
V. (d)
VI. (c)
VII. (b)
VIII. (a)
IX. (b)
X. (d)

© The Institute of Chartered Accountants of India

विवरणात्मक प्रश्न

1. करनिर्धारण वर्ष 2019-20 के लिए श्री सुनील पटनी की कर दायित्व की गणना

विवरण	`	`
वेतन से आय (गणना)		26,56,000
गृह सम्पत्ति से आय (गणना की)		16,90,000
स्थायी जमा प्राप्ति से ब्याज		7,34,000
कुल आय		**50,80,000**
कर दायित्व		
(A) ` 50,80,000की योग आय पर अधिभार सहित भुगतानयोग्य कर		
` 2,50,000तक	शून्य	
` 2,50,001 – ` 5,00,000, 5%की दर से	12,500	
`5,00,001 – `10,00,000,20%की दर से	1,00,000	
`10,00,001 – `50,80,000, 30%की दर से	12,24,000	
	13,36,500	
जोड़ें 10%की दर से अधिभार क्योंकि कुल आय ` 50लाख से अधिक है परन्तु ` 1 करोड़ से अधिक नहीं है।	1,33,650	14,70,150
(B) ` 50 लाख की कुल आय पर भुगतानयोग्य कर (` 12,500 जमा ` 1,00,000 जमा ` 12,00,000 जो ` 40,00,000का 30% है)		13,12,500
(C) आधिक्य भुगतानयोग्य कर (A)-(B)		1,57,650
(D) सीमांत राहत (` 1,57,650 – ` 80,000, यानि ` 50,00,000 के आधिक्य में आय)		77,650
भुगतानयोग्य कर (A)-(D) [` 14,70,150 – ` 77,650]		13,92,500
जोड़ें 4%की दर से स्वास्थ्य तथा शिक्षण उपकर		55,700
कर दायित्व		**14,48,200**

2. आवासीय स्थिति का निर्धारण

एक व्यक्ति को किसी गत वर्ष में निवासी कहा जाता है यदि वह निम्न में से एक शर्त को संतुष्ट करता है:

(i) वह गत वर्ष के दौरान भारत में 182दिवस अथवा अधिक के लिए भारत में है अथवा

(ii) वह गत वर्ष में गत वर्ष से एक दम पहले 4वर्षों के दौरान भारत में 365 दिवस

© The Institute of Chartered Accountants of India

अथवा अधिक तथा गत वर्ष में कम से कम 60 दिवस के लिए भारत में रहा है।

यदि व्यक्ति उपरोक्त वर्णित शर्त में से एक को संतुष्ट करता है, वह निवासी है यदि दोनों शर्तों को संतुष्ट नहीं किया जाता, व्यक्ति अनिवासी है।

एक भारतीय नागरिक श्री राजेश शर्मा ने निवासी होने के लिए मूल शर्त को पूरा नहीं किया क्योंकि वह गत वर्ष 2018-19के दौरान 59 दिवस के लिए भारत में था अतएव वह कर निर्धारण वर्ष A.Y.2019-20के लिए अनिवासी है।

करनिर्धारण वर्ष 2019-20 के लिए श्री राजेश शर्मा की कुल आय की गणना 2019-20

	विवरण	राशि (`)
(1)	एक भारतीय सूचीबद्ध कम्पनी का अंशों की बिक्री पर अल्पकालीन पूंजीगत लाभ राजेश शर्मा के हाथों में कर से वसूलीयोग्य है क्योंकि यह भारत में उर्पाजित तथा उत्पन्न हुआ है चाहे बिक्री राशि को सिंगापुर के बैंक खाता में क्रेडिट किया है।	58,000
(2)	सिंगापुर आधारित कम्पनी से प्राप्त ` 48,000 का लाभांश जिसे सिंगापुर के बैंक खाता में अंतरित किया अनिवासी के हाथों में करयोग्य नहीं है क्योंकि आय ना ही तो भारत में उर्पाजित तथा उत्पन्न हुई तथा ना ही भारत में प्राप्त हुई है। क्योंकि लाभांश भारत में करयोग्य नहीं है निवेश के लिए भुगतान ब्याज कटौती के रूप में स्वीकार्य नहीं है।	Nil
(3)	बचत बैंक खाता में क्रेडिट पंजाब नेशनल बैंक के साथ स्थायी जमा पर ब्याज राजेश शर्मा के हाथों में अन्य स्त्रोत से आय के रूप में करयोग्य है क्योंकि यह भारत में उर्पाजित तथा उत्पन्न हुई है तथा भारत में प्राप्त हुई है। वह धारा 80TTBके अन्तर्गत कटौती के लिए पात्र नहीं होगा क्योंकि यह अनिवासी है।	9,500
कुल आय		**67,500**

3.

	प्रभार योग्यता	कर के लिए दायी राशि (`)	कारण
(i)	**आंशिक रूप से करयोग्य**	96,000	अपनी डयूटी के दौरान व्यक्तिगत व्यय को पूरा करने के लिए एक परिवहन सिस्टम में कार्यरत एक कर्मचारी को प्रदान भत्ता विमुक्त है बशर्ते वह दैनिक भत्ता की प्राप्ति में नहीं है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

			विमुक्ति इस प्रकार के भत्ता का 70% है (अर्थात् वर्तमान मामले में ` 18,000 का 70% जो ` 12,600है) अथवा ` 10,000 प्रति माह जो कम है। अतएव, ` 1,20,000 (अर्थात् ` 10,000 x 12) विमुक्त है। शेष ` 96,000 (` 2,16,000 – ` 1,20,000) श्री उत्तम प्रकाश के हाथों में करयोग्य है।
(ii)	**करयोग्य नहीं**	-	धारा 10(34)के अनुसार, भारतीय कम्पनियों से ` 10 लाख तक प्राप्त लांभांश जिस पर कम्पनी द्वारा लाभांश वितरण कर का भुगतान किया है। अंशधारक के हाथों में विमुक्त है। धारा 10(35)के अनुसार, म्युचल फंड की यूनिट से प्राप्त आय विमुक्त है। अतएव, ` 9,63,000जो भारतीय कम्पनियों से लाभांश तथा ` 4,34,000जो समता उन्मुख म्युचल फंड की इकाई से लाभांश है श्रीमति आध्या के हाथों में करयोग्य नहीं है।

4. कर निर्धारण 2019-20वर्ष के लिए सुश्री सुहानी के हाथों में शीर्ष 'वेतन' के अन्तर्गत आय की गणना

विवरण	`
मूल वेतन [` 48,000 x 12]	5,76,000
महंगाई भत्त [मूल वेतन का 10%]	57,600
बोनस [गतवर्ष 2018-19में करयोग्य है क्योंकि यह प्राप्ति आधार पर करयोग्य है]	52,000
स्थायी चिकित्सा भत्ता [करयोग्य]	48,000
पिता के लिए किए गए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति [करनिर्धारण वर्ष 2019-20के लिए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के स्थान पर प्रस्तुत मानक कटौती के कारण पूर्णतः करयोग्य है चाहे पिता को 'परिवार' के शब्द में सम्मिलित किया है]	4,900
लेपटॉप की सुविधा [लेपटाप की सुविधा एक विमुक्त अनुलाभ है चाहे शासकीय अथवा व्यक्तिगत उद्देश्य अथवा दोनों के लिए प्रयुक्त किया है]	शून्य
घरेलू नौकर को वेतन की प्रतिपूर्ति [` 5,000 x 12] [पूर्णतः करयोग्य क्योंकि अनुलाभ में किसी दायित्व के संबंध में नियोक्ता द्वारा भुगतानयोग्य है]	60,000

© The Institute of Chartered Accountants of India

आबंटित समता अंशों का मूल्य [700 समता अंश x ` 110 (` 280जो उचित बाजार मूल्य है – ` 170वसूल की जाने वाली राशि)]	77,000
नियोक्ता द्वारा भुगतान पेशेवर कर [अनुलाभ में किसी दायित्व के संबंध में नियोक्ता द्वारा भुगतान कोई राशि जो कर्मचारी द्वारा भुगतान योग्य होती, सम्मिलित है]	1,400
सकल वेतन	**8,76,900**
घटायें: धारा 16 के अन्तर्गत कटौती	
भुगतान पेशेवर कर	2,200
मानक कटौती (` 40,000अथवा वेतन की राशि का कम)	40,000
करयोग्य वेतन	**8,34,700**

5. कर निर्धारण वर्ष 2019-20के लिए श्री विहान की गृह सम्पत्ति की गणना

विवरण	`	`
1. सिंगापुर में किराये की सम्पत्ति से, आय [नीचे नोट 1को देखें]		
[1] सकल वार्षिक मूल्य (SGD 4,000 प्रतिमाह x 12 माह x ` 51)		24,48,000
घटा: वर्ष के दौरान भुगतान पालिका कर [SGD 2,000 (SGD 1,250 + SGD 750) x ` 51][2]		1,02,000
शुद्ध वार्षिक मूल्य (NAV)		23,46,000
*घटा:*धारा 24के अन्तर्गत कटौती		
(a) शुद्ध वार्षिक मूल्य का 30%	7,03,800	
(b) गृह ऋण पर ब्याज	-	7,03,800
		16,42,200
2. **पुने में स्वयं गृहण सम्पत्ति से आय**		
वार्षिक मूल्य [शून्य, क्योंकि सम्पत्ति स्वयंगृहण]		NIL
[स्वयं गृहण सम्पत्ति के संबंध में भुगतान पालिका कर के संबंध में कोई कटौती स्वीकार्य नहीं है]		
*घटा:*गृह ऋण पर ब्याज के संबंध में कटौती **[नीचे नोट 2 को देखें]**		2,00,000
		(2,00,000)

[1] *In the absence of information related to municipal value, fair rent and standard rent, the rent receivable has been taken as the GAV*

[2] *Both property tax and sewerage tax qualify for deduction from gross annual value*

© The Institute of Chartered Accountants of India

गृह सम्पत्ति से आय [` 16,42,200 – `2,00,000]		**14,42,200**

नोट:

(1) क्योंकि श्री विहान कर निर्धारण वर्ष 2019-20के लिए एक निवासी परन्तु असाधारण निवासी है, आय जिसे भारत में प्राप्त किया भारत में करयोग्य होगी चाहे यदि इस प्रकार की आय धारा 5(1)के प्रावधान के कारण भारत से बाहर उर्पाजित अथवा उत्पन्न हुई है। तदानुसार सिंगापुर में गृह सम्पत्ति से प्राप्त किराया भारत में करयोग्य होगी क्योंकि इस प्रकार की आय को उसके द्वारा भारत में प्राप्त किया है।

(2) **स्वयं गृहण का निर्माण के लिए गृह ऋण पर ब्याज धारा 24 के अन्तर्गत कटौती के रूप में स्वीकार्य है।**

चालू वर्ष के लिए ब्याज (` 25,00,000 x 12%)	` 3,00,000
निर्माण पूर्व ब्याज	
01.06.2014 से 31.03.2016 की अवधि के लिए (` 25,00,000 x 12% x 22/12) = ` 5,50,000	
5 बराबर किश्तों में स्वीकृत` 5,50,000 (` 5,50,000/5)	` 1,10,000
	` 4,10,000
स्वयं गृहण सम्पत्ति के मामले में, ब्याज कटौती ` 2,00,000 तक सीमित है।	` 2,00,000

6. कर निर्धारण वर्ष 2019-20 के लिए धारा 32के अन्तर्गत ह्रास की गणना

विवरण	`	`
Sahaj Ltd.से अधिगृहत मशीनरी X, मशीनरी Y तथा मशीनरी Z (क्योंकि Sahaj Ltd को भुगतान ECSके उपयोग द्वारा किया है तथा मशीनरी को गत वर्ष के दौरान 180दिवस से अधिक के लिए उपयोग में लाया है ह्रास 15%की दर से स्वीकार्य है)		58,00,000
नकद में Swayam Ltd. से अधिगृहित मशीनरी L तथा 8.8.2018को स्थापित [क्योंकि ` 35लाख का भुगतान को अकाउंट पेयी चैक/ड्राफ्ट अथवा ECSका उपयोग के बिना किया है, उक्त राशि को वास्तविक लागत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा तथा अतएव ह्रास स्वीकार्य नहीं है]		NIL
18.12.2018को Sunshine Ltd से सेकेंटहेंड मशीनरी Mयह मानकर कि इसे गत वर्ष 2018-19में उपयोग के लिए स्थापित किया [क्योंकि Sunshine Ltd को ECSके उपयोग के जरिये भुगतान किया]		15,00,000
वास्तविक लागत		**73,00,000**

© The Institute of Chartered Accountants of India

<u>गत वर्ष 2018-19के लिए ह्रास</u>		
` 58 लाख पर मशीनरी X, Y तथा Z पर15% की दर से ह्रास	8,70,000	
मशीनरी M के लिए` 15 लाख पर 7.5% (15%का50%) की दर से ह्रास	1,12,500	
	9,82,500	
` 58 लाख पर 35%की दर से अतिरिक्त ह्रास क्योंकि मशीनरी को आंध्रा प्रदेश का राज्य में अधिसूचित पिछड़ा क्षेत्र में स्थापित एक निर्माणी युनिट के लिए अधिगृहित तथा स्थापित किया है।	20,30,000	
सैकेंड हेंड मशीनरी पर अतिरिक्त ह्रास स्वीकार्य नहीं है।	-	
करनिर्धारण वर्ष2019-20 के लिए धारा 32के अन्तर्गत ह्रास	**30,12,500**	

7. करनिर्धारण वर्ष 2019-20के लिए शीर्ष 'पूंजीगत लाभ' के अन्तर्गत वसूलीयोग्य आय की गणना

विवरण	` (लाख में)	` (लाख में)
आवासीय भवन की बिक्री पर पूंजीगत लाभ		
वास्तविक बिक्री प्रतिफल` 810 लाख		
स्टेम्प मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा अपनाया मूल्य ` 870 लाख		
सकल बिक्री प्रतिफल		870.00
[जहाँ पर नियत तिथि को करनिर्धारी द्वारा घोषित वास्तविक बिक्री प्रतिफल स्टेम्प डयूटी को वसूलने के उद्देश्य के लिए स्टेम्प मूल्यांकन अधिकारी द्वारा अपनाये मूल्य से कम है तथा इस प्रकार स्टेम्प डयूटी मूल्य वास्तविक बिक्री प्रतिफल का 105%से अधिक है तब, स्टेम्प डयूटी प्राधिकरण द्वारा अपनाया मूल्य को धारा 50Cके अनुसार प्रतिफल का पूर्ण मूल्य लिया जायेगा।		
यद्यपि, जहां पर समझौते की तिथि पंजीकरण की तिथि से भिन्न है, समझौते की तिथि को स्टेम्प डयूटी मूल्य पर विचार किया जा सकता है बशर्ते पूर्ण अथवा आंशिक प्रतिफल को समझौते की तिथि अथवा उससे पूर्व अकाउंट पेयी चैक/ड्राफ्ट अथवा ECS के जरिये प्राप्त किया है।		
इस मामले में, क्योंकि ` 80 लाख की अग्रिम राशि को नकद में प्राप्त किया है, समझौते की तिथि पर स्टेम्प ड्यूटी मूल्य प्रतिफल का पूर्ण मूल्य के रूप में अपनाया नहीं जा सकता पंजीकरण की तिथि को स्टेम्प ड्यूटी मूल्य प्रतिफल का पूर्ण		

© The Institute of Chartered Accountants of India

मूल्य स्वीकार किया जायेगा क्योंकि इस प्रकार मूल्य ` 810 का 105% से अधिक है।		
घटायें: बिक्री प्रतिफल का 1%की दर से दलाली (` 810का 1%)		8.10
शुद्ध बिक्री प्रतिफल		861.90
घटायें: अधिग्रहण की सूचकांक लागत		
- खाली जमीन की लागत ` 80 लाख जमा पंजीकरण तथा अन्य व्यय अर्थात् ` 8 लाख जो जमीन की लागत का 10% है [` 88 लाख × 280/113]	218.05	
- आवासीय भवन की निर्माण लागत (` 100 लाख x 280/122)	229.51	447.56
विमुक्ति से पूर्व दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ[3]		**414.34**
घटायें: **धारा 54 के अन्तर्गत विमुक्ति**		130.00
दीर्घकालीन आवासीय सम्पत्ति के अंतरण पर उत्पन्न पूंजीगत लाभ मूल सम्पत्ति के अंतरण की तिथि के पश्चात् दो वर्ष अथवा एक वर्ष पहले भारत में एक आवासीय गृह सम्पत्ति के क्रय में निवेशित पूंजीगत लाभ की हद तक वसूलीयोग्य नहीं है। इसलिए, वर्तमान मामले में, विमुक्ति केवल दिल्ली में अधिगृहित आवासीय गृह के संबंध में उपलब्ध होगी।		
घटा: **धारा 54EC के अन्तर्गत विमुक्ति**		50.00
दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ जो जमीन अथवा भवन अथवा दोनों हैं, की अंतरण की तिथि (अर्थात् 13.7.2019को अथवा उससे पूर्व)के पश्चात् छह माह के अंदर NHAI के पूंजीगत बांड में जमा राशि ` 50 लाख की अधिकतम हद तक विमुक्ति के लिए पात्र होगा चाहे निवेशकों ने चालू वित्तीय वर्ष में किया अथवा बाद के वर्ष में। इसलिए, वर्तमान के मामले में, विमुक्ति को `97लाख में से `50लाख की हद तक प्राप्त किया जा सकता है यदि दोनों निवेश को 13.7.2019 (अर्थात् अंतरण की तिथि के पश्चात् छह माह के अंदर)को अथवा उससे पूर्व किये गए हैं।		
कर से वसूलीयोग्य दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ		**234.34**

[3] *Since the residential house property was held by Mrs. Yuvikafor more than 24 months immediately preceding the date of its transfer, the resultant gain is a long-term capital gain*

© The Institute of Chartered Accountants of India

क्योंकि आवासीय गृह सम्पत्ति को इसके अंतरण की तिथि से एकदम पहले 24 माह से अधिक के लिए श्रीमति युविका द्वारा धारित किया है, परिणामतः लाभ दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ है।

नोट: श्री जोहर से प्राप्त ` 20 लाख का अग्रिम धारा56(2)(ix)के अनुसार करनिर्धारण वर्ष 2016-17में 'अन्य स्त्रोत से आय' के अन्तर्गत कर से वसूलीयोग्य होगा। क्योंकि उसे सौदेबाजी की विफलता के परिणामस्वरूप 01.4.2014 को अथवा उसके पश्चात् जब्त किया। अतएव अधिग्रहण की सूचकांक लागत की गणना करते हुए कटौती नहीं की जानी चाहिए।

8. करनिर्धारण वर्ष 2019-20 के लिए श्री राघव की कुल आय की गणना

विवरण	`	`	`
व्यापार अथवा पेशे से लाभ अथवा हानि			
चाटर्ड अकाउटेंसी से आय		15,00,000	
*घटा:*गृह सम्पत्ति से हानि (धारा 71(3A) के अनुसार ` 2,00,000की हद तक सेट ऑफ किया जा सकता है।		2,00,000	13,00,000
पूंजीगत लाभ			
धारा 112के अन्तर्गत दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ		4,00,000	
*घटा:*धारा 74 के अनुसार दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ के विरूद्ध अल्पकालीन पूंजीगत लाभ का सेट ऑफ		(4,00,000)	शून्य
अन्य स्त्रोत से आय			
अव्यस्क पुत्र राहुल की आय			
कम्पनी जमा से आय धारा 64(1A) के अनुसार श्री राघव के हाथों में सम्मिलित होगा।	1,75,000		
*घटा:*अव्यस्क बच्चे की आय के संबंध में विमुक्ति धारा 10(32) के अन्तर्गत	1,500	1,73,500	
अव्यस्क पुत्री रिया की आय			
- अव्यस्क पुत्री रिया (पेशेवर नृतकी) की ` 20,00,000 की आय माता पिता के हाथों में सम्मिलित योग्य नहीं है क्योंकि इस प्रकार की आय को उसकी विशेष कुशलता के कारण अर्जित किया है।	Nil		
- उसकी विशेष योग्यता के कारण अर्जित राशि में से केनरा बैंक के साथ जमा पर प्राप्त ब्याज	20,000		

© The Institute of Chartered Accountants of India

धारा 64(1A)के अनुसार सम्मिलित योग्य है क्योंकि ब्याज की आय उसके द्वारा किये गये जमा में से उत्पन्न हुई है न कि उसकी विशेष कुशलता के कारण। - श्री राघव के दोस्तों से उसके द्वारा प्राप्त ` 45,000 का उपहार धारा 56(2)(x)के अन्तर्गत करयोग्य नहीं है, क्योंकि गैर संबंधी से योग राशि ` 50,000से अधिक नहीं है। *घटा:*धारा 10(32) के अन्तर्गत अव्यस्क बच्चे की आय के संबंध में विमुक्ति	Nil 1,500	18,500	1,92,000
कुल आय			**14,92,000**

करनिर्धारण वर्ष 2020-21तक आगे लायी गयी हानि

विवरण	`
गृह सम्पत्ति से हानि [` 2.50,000 – ` 2,00,000]	50,000
धारा 111A के अन्तर्गत अल्पकालीन पूंजीगत हानि	10,00,000
अल्पकालीन पूंजीगत हानि (उपरोक्त के अतिरिक्त) [` 6,00,000 – ` 4,00,000]	2,00,000

नोट – *धारा 111A के अन्तर्गत अल्पकालीन पूंजीगत हानि को धारा 112*के अन्तर्गत दीर्घकालीन पूंजीगत हानि के विरूद्ध सेट ऑफ किया जा सकता है। इस प्रकार के मामले में इस प्रकार की हानि को करनिर्धारण वर्ष *2020-21*तक आगे ले जाया जा सकता है जो निम्न है–

विवरण	`
गृह सम्पत्ति से हानि [` 2.50,000 – ` 2,00,000]	50,000
धारा 111Aके अन्तर्गत अल्पकालीन पूंजीगत हानि [` 10,00,000 – ` 4,00,000]	6,00,000
अल्पकालीन पूंजीगत हानि (उपरोक्त के अतिरिक्त)	6,00,000

9. करनिर्धारण वर्ष 2019-20के लिए श्री अरिहंत की कुल आय की गणना

विवरण	`	`	`
सकल कुल आय			7,50,000
*घटायें:***अध्याय VI-Aके अन्तर्गत कटौती**			
धारा 80Cके अन्तर्गत	60,000		
- ` 70,000 का जीवन बीमा प्रीमियम (` 60,000तक सीमित अर्थात् ` 4,00,000जो			

© The Institute of Chartered Accountants of India

बीमित राशि का 15%है क्योंकि पॉलिसी धारा 80 U के अन्तर्गत अपंगता से ग्रसित अपने दिव्यांग पुत्र के संबंध में 01.04.2013को अथवा उसके पश्चात् ली गयी है)			
- उसके व्यस्क पुत्र के नाम ` 90,000 कर बचत खाते में जमा धारा 80C के अन्तर्गत कटौती के लिए अहर्ता नहीं है, क्योंकि धारा 80Cके अन्तर्गत कटौती की अहर्ता के लिए जमा स्वयं कर निर्धारी के नाम से किया जाता है।	Nil	60,000	
धारा 80Dके अन्तर्गत			
- गत वर्ष 2018-19से संबंधित स्वयं तथा उसकी पत्नी के लिए चिकित्सा बीमा प्रीमियम गत वर्ष से संबंधित है, `78,000, 1/3rdअर्थात् `26,000 क्योंकि पॉलिसी तीन गत वर्षों से प्रभावी है। उक्त कटौती सीमित होगी।	25,000		
- उसके पिता जी वरिष्ठ नागरिक हैं, के लिए ` 54,000 का चिकित्सा व्यय के संबंध में कटौती, स्वीकार्य होगी क्योंकि उसके नाम में कोई पॉलिसी नहीं ली।	50,000	75,000	
धारा 80Gके अन्तर्गत			
- केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ गंगा फंड की तरफ निवासी द्वारा अंशदान बिना अहर्ता सीमा 100% कटौती के लिए पात्र होगी।		25,000	1,60,000
कुल आय			**5,90,000**

10. करनिर्धारण वर्ष 2019-20के लिए सुश्री राधिका की कुल आय की गणना

विवण	`	`
गृह सम्पत्ति से आय		
किराये का बकाया [करयोग्य, चाहे यदि सुश्री राधिका गृह सम्पत्ति की स्वामी नहीं]	2,85,000	
घटायें: किराये के बकाया का 30%	85,500	1,99,500
व्यापार अथवा पेशे का लाभ तथा अर्जन		
जो अधिकतम स्वीकार्य ब्याज है, की दर से पूंजी पर ब्याज [` 4,50,000/15% x 12%] यह मानकर कि 12%की दर से ब्याज साझेदारी प्रलेख द्वारा प्राधिकृत है तथा फर्म की आय	3,60,000	

© The Institute of Chartered Accountants of India

की गणना करते हुए कटौती के रूप में स्वीकृत है।		
एक फर्म TVA & Co.से लाभ का हिस्सा [विमुक्त]	-	
Keyman बीमा पॉलिसी के अन्तर्गत प्राप्त राशि	4,35,000	7,95,000
अन्य स्त्रोत से आय		
एक टी वी गेम शो से जीत (सकल) [`77,000 x 100/(100-30)]	1,10,000	
पिता के भाई से प्राप्त उपहार विमुक्त होगा क्योंकि पिता का भाई संबंधी की परिभाषा के अंदर आता है।	-	
अपने नजदीकी मित्र से प्राप्त उपहार करयोग्य होगा क्योंकि यह ` 50,000से अधिक है।	80,000	
जमीन के खाली प्लॉट के लिए प्राप्त किराया [` 3,03,300/90 x 100]	3,37,000	
खाली प्लॉट के अंतरण के लिए समझौता के निरस्तिकरण पर जब्त राशि	3,10,000	
ढाका बंगला देश में कृषि भूमि से कृषि आय [विमुक्त नहीं क्योंकि इस प्रकार की आय भारत से बाहर जमीन से प्राप्त किया]	5,20,000	
सार्वजनिक भविष्य निधि में क्रेडिट ब्याज [विमुक्त]	-	13,57,000
सकल कुल आय		**23,51,500**
***घटायें:*अध्याय VI-Aके अन्तर्गत कटौती**		
धारा 80C		
अव्यस्क पुत्री के नाम से सार्वजनिक भविष्य निधि	1,25,000	
धारा 80G		
12AA के अन्तर्गत पंजीकृत धर्मार्थ न्यास को ` 22,000का दान की कटौती की आज्ञा नहीं है क्योंकि इसे ` 2,000के आधिक्य में नकद में किया है।	-	
		1,25,000
योग आय		**22,26,500**

करनिर्धारण वर्ष 2019-20के लिए सुश्री राधिका के कर दायित्व की गणना

विवरण	`	`
30% की दर से TVगेम शो से `1,10,000की जीत पर कर		33,000
` 21,16,500की शेष आय पर कर		
`2,50,000तक	Nil	

© The Institute of Chartered Accountants of India

`2,50,001 – ` 5,00,000तक 5%की दर से		12,500	
`5,00,001 - ` 10,00,000तक 20%की दर से		1,00,000	
`10,00,001 - ` 21,16,500तक 30%की दर से		3,34,950	4,47,450
			4,80,450
*जोड़ें*4%की दर से स्वास्थय तथा शिक्षण उपकर			19,218
कर दायित्व			**4,99,668**
घटायें स्त्रोत पर कर कटौती			
194-Iके अन्तर्गत	33,700		
194Bके अन्तर्गत	33,000		66,700
भुगतान योग्य कर			**4,32,968**
भुगतान योग्य कर (राउंड ऑफ)			**4,32,970**

11. श्री चंद्र प्रकाश द्वारा धारा 234B के अन्तर्गत भुगतानयोग्य कर की गणना

विवरण	`
` 15,05,000की कुल आय पर कर [` 12,00,000की व्यापार आय**(नीचे नोट देखें)** + ` 3,05,000का अन्य स्त्रोत से आय]	2,64,000
जोड़ें 4%की दर से स्वास्थय तथा शिक्षा उपकर	10,560
कुल आय पर कर	**2,74,560**
*घटायें*स्त्रोत पर कर कटौती	55,000
निर्धारित कर	**2,19,560**
निर्धारित कर का 90%	1,97,604
14-3-2019को भुगतान अग्रिम कर	1,45,000
धारा 234Bके अन्तर्गत ब्याज लगेगा क्योंकि भुगतान `1,45,000का अग्रिम कर `1,97,604जो कि निर्धारित कर का 90%है से कम है।	
1अप्रैल 2019से 15दिसम्बर 2019जो कि स्वयं निर्धारण कर का भुगतान की तिथि है तक माह की संख्या	9
` 74,500पर 9 माह के लिए प्रतिमाह अथवा माह के भाग के लिए [अर्थात् ` 2,19,560का निर्धारित कर तथा `1,45,000का अग्रिम कर के मध्य अंतर जिसे ` 74,560 तक राउंड ऑफ किया[4]]	6,705
धारा 234B के अन्तर्गत ब्याज का राउंड ऑफ	6,710

[4]*Rounded off under Rule 119A of Income-tax Rules, 1962*

© The Institute of Chartered Accountants of India

नोट: *धारा 44AD के अन्तर्गत गणना की गई मान्यता आय ` 12 लाख होगी जो कि `45 लाख का 8% तथा `140 लाख का 6% है।*	

12. श्री शर्मा ने 25.9.2019को कर निर्धारण वर्ष 2019-20के लिए अपनी आय की विवरणी को जमा किया अर्थात् 31जुलाई 2019के पश्चात् जो कि धारा 139(1)के अन्तर्गत निर्दिष्ट देय तिथि है। अतएव, विवरणी धारा 139(4)के अन्तर्गत देरी से विवरणी है।

धारा 139(3)के साथ पढकर धारा 80 के अनुसार निर्दिष्ट हानि जिसे धारा 139(1)में निर्दिष्ट समय के अंदर हानि की विवरणी के तहत निर्धारित नहीं किया, को उस वर्ष की आय के विरूद्ध आगे के वर्षों में सेट ऑफ के लिए आगे नहीं ले जाया जा सकता। निर्दिष्ट हानि में व्यापार हानि सम्मिलित है परन्तु गृह सम्पत्ति से हानि तथा गैर अवशोधित ह्रास सम्मिलित नहीं है।

तदानुसार, कर निर्धारण वर्ष 2019-20के लिए श्री शर्मा का ` 9,80,000की व्यापारिक हानि को धारा 139(1)में निर्दिष्ट समय के अन्दर फाइल हानि की विवरणी के तहत निर्धारित नहीं किया, को कर निर्धारण वर्ष 2020-21 में आगे नहीं ले जाया जा सकता।

यद्यपि, गृह सम्पत्ति से ` 50,000की हानि तथा कर निर्धारण वर्ष 2019-20से संबंधित ` 3,25,000की गैर अवशोषित ह्रास को सेट ऑफ के लिए कर निर्धारण वर्ष 2020-21तक आगे ले जाया जा सकता है चाहे श्री शर्मा ने देरी से कर निर्धारण वर्ष 2019-20के लिए हानि की विवरणी को फाइल किया।

© The Institute of Chartered Accountants of India

खंड बी

प्रश्न

(1) सभी प्रश्नों का उत्तर 30.04.2019तक सशोधित GST कानून की स्थिति के आधार पर होना चाहिए।

(2) विभिन्न प्रश्नों में वर्णित वस्तु तथा सेवा की GST दर काल्पनिक है तथा इनवायस तथा सेवा पर लगने वाली आवश्यक नहीं कि वास्तविक दर हो। आगे, GSTक्षति उपकर की सभी प्रश्नों में अनदेखी करनी चाहिए जहां पर लागू है।

1. सुश्री रक्षा चोपड़ा उत्तर प्रदेश में निजी कोचिंग सेवा मे लिप्त है तथा GST के अन्तर्गत25सितम्बर 20XXतक पंजीकृत नही है । उसकी सितम्बर 20XX को कुल टर्न ओवर `19,00,000/- है।उसने 30सितम्बर 20XX को पंजीकरण प्राप्त किया। उसे कौन सा विकल्प उपलब्ध है:

   (a) वह ग्राहक से वसूल 18% के कर का भुगतान कर सकती है तथा की गयी पूर्ति पर पूर्ण इनपुट कर क्रेडिट को प्राप्त कर सकती है।

   (b) वह सेवा प्रदानकर्ता के लिए विमुक्ति योजना के अन्तर्गत 6% की दर से कर का भुगतान कर सकती है परन्तु वह ग्राहक से GST को वसूल नही सकती तथा साथ में इनपुट कर क्रेडिट का भी दावा नहीं कर सकती।

   (c) वह पंजीकरण के लिए दायी नही है क्योकि उसकी सकल टर्न ओवर`40,00,000/-से कम है।

   (d) या तो (a) अथवा (b)

2. एक पंजीकृत आपूर्तिकर्ता श्री अरूण मिठाई की बिक्री मे लिप्त है। मिठाई को डिब्बों मे बेचा तथा प्रत्येक मिठाई के डिब्बे की लागत `500/- है। अपनी टर्न ओवर को बढ़ाने के लिए, उसने ` 20/- प्रत्येक की दर से कुछ रस के कैन खरीदे तथा रस के कैन को प्रत्येक मिठाई के डिब्बे के साथ उपहार के रूप मे जोड़ा। निःशुल्क रस कैन के साथ मिठाई के डिब्बा को `500/-प्रत्येक पर बेचा। निम्न मे से कौन सा कथन सही है?

   (a) वह `520/- पर कर के भुगतान के लिए दायी है तथा रस के कैन के क्रय पर इनपुट कर क्रेडिट का दावा करने के लिए पात्र है।

   (b) वह `500/- पर कर के भुगतान के लिए दायी है तथा रस के कैन पर इनपुट कर क्रेडिट का दावा करने के लिए पात्र नहीं है।

   (c) वह `500/- का कर के भुगतान के लिए दायी है तथा साथ मे रस के कैन पर इनपुट कर का क्रेडिट का दावा करने के लिए भी पात्र है।

   (d) (a) अथवा (b)मे से कोई

3. किसे GST कानून के अन्तर्गत आपूर्ति के रूप मे नही माना जाता?

© The Institute of Chartered Accountants of India

(a) एक ही PAN के अन्तर्गत पंजीकृत दिल्ली में एक संस्थान से गुड़गांव मे एक अन्य संस्थान को अंतरित स्टॉक

(b) सी॰ए॰ राम सी॰ए॰ राधा से प्राप्त कराधान सेवा के स्थान पर सी॰ए॰राधा को लेखांकन सेवा की आपूर्ति करता है।

(c) एक स्वास्थ्य क्लब नाममात्र प्रभार के विरूद्ध अपनी वार्षिक सभा में सदस्यो को भोजन की आपूर्ति करता है।

(d) श्री. A ने श्री B को फ्लैट बेचा

(i) पूर्णता प्रमाणपत्र की तिथि- 31/01/20XX

(ii) क्रेता के साथ समझौता की तिथि - 01/02/20XX

(iii) प्राप्त प्रतिफल - 05/02/20XX

4. CGST अधियनम 2017की धारा 15के अन्तर्गत सौदा मूल्य से संबधित प्रावधान के संदर्भ मे निम्न मे से कौन सा सही नहीं है?

(a) केन्द्रीय उत्पाद शुल्ककको तम्बाकू की आपूर्ति के सौदा मूल्य में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(b) किरायेदार के द्वारा भुगतान पालिका कर को किराया सेवा की आपूर्ति के लिए सौदा मूल्य मे सम्मिलित किया जाएगा।

(c) मूवी टिकिट मे सम्मिलित मनोरंजन कर सौदा मूल्य का भाग बनेगा।

(d) ग्राहक भाड़े का भुगतान करता है, जो सीधे सेवा प्रदानकर्ता को आपूर्तिकर्ता द्वारा भुगतानयोग्य है। यद्यपि आपूर्तिकर्ता इस राशि को इवांयस में सम्मिलित नहीं करता। इस प्रकार की राशि को आपूर्तिकर्ता के सौदा मूल्य में सम्मिलित किया जाएगा।

5. CGST अधिनियम 2017की धारा9(3) अथवाIGST Act, 2017की धारा5(3)के अन्तर्गत कौन सी सेवा अधिसूचित है जिस पर इस प्रकार की आपूर्ति का प्राप्तकर्ता द्वारा रिवर्स प्रभार के आधार पर भुगतान किया जाएगा:

(i) एक निगमित संस्था के अतिरिक्त एक व्यक्ति द्वारा प्रदान सुरक्षा सेवा की एक सयोजन (composition) कर भुगतानकर्ता को आपूर्ति

(ii) करयोग्य क्षेत्र में स्थित बीमा कम्पनी को बीमा एजेंट के द्वारा आपूर्ति

(iii) इ–कामर्स के जरिये होटल आवास के किराया के जरिये सेवा की आपूर्ति

(iv) एक आपूर्तिकर्ता जो पंजीकृत नहीं है, के द्वारा वस्तु अथवा सेवा अथवा दोनों की अधिसूचित श्रेणी की पंजीकृत व्यक्तियों की निर्दिष्ट श्रेणीकी आपूर्ति

निम्न विक्ल्प मे से चुनें:

(a) (i) तथा (ii)

(b) केवल (ii)

(c) (i), (ii),तथा (iii)

© The Institute of Chartered Accountants of India

(d) (i) तथा (iv)

6. M/s. Comfortable (P) Ltd. ओड़ीसा राज्य मेंGST के अन्तर्गत पंजीकृत है। यह लोहा स्टील उत्पाद के निर्माणी व्यवसाय मे लिप्त है। इसने 28अक्टूबर20XXको`11,00,000/- (18% की दर से GSTको छोड़कर) M/s High-fi Infotech (P) Ltd. से आइ टी अभियांत्रिकी सेवा को प्राप्त किया। प्रदान सेवा को 5NovXXको जारी किया। M/s. Comfortable (P) Ltd.ने 30नवम्बर20XX को `4,20,000/-का आंशिक भुगतान किया।M/s High-Fi Infotech (P) Ltd.द्वारा प्रदान सेवा से नाखुश इसने शेष भुगतान नहीं किया।M/s High-Fi Infotech (P) Ltd.द्वारा 15फरवरीXY को प्रदान सेवा मेंत्रुटि को दूर कर दिया। M/s Comfortable (P) Ltd.ने 15-फरवरीXYको`3,00,000/-का भुगतान किया तथा 6 जून20XX को अर्थात् इन्वायस को जारी करने के180 दिवस के पश्चात शेषभुगतान किया।

वित्तीय वर्ष 20XX-XYमे M/s. High-Fi Infotech (P) Ltdसे प्राप्त आइ टी अभिश्रिकी सेवा के संबंध मे इनपुट का क्रेडिट उपलब्ध है

(a) ` 1,98,000/-

(b) शून्य

(c) ` 64,068/-

(d) `1,09,831/-

7. श्री देवानन्द विभिन्न ग्राहको को प्रतिभूति की बिक्री तथा क्रय सुलभ करवाने की सेवा मे लिप्त है। वह प्रतिभूतियों के व्यापार मे भी लिप्त है। उसकी टर्न ओवर विवरण निम्न है:

प्रतिभूतियों की ट्रेडिंग `40,00,000/-

प्रतिभूतियों मे सौदो को सुलभ करने के कारणब्रोकरेज` 30,00,000/-

आपको GST के अन्तर्गत श्री देवानन्द की कुल टर्न ओवर को ज्ञात करना है।

(a) `30,00,000/-

(b) ` 40,00,000/-

(c) ` 70,00,000/-

(d) शून्य

8. श्री पप्पू सिंह ने फरवरी 20XXमे व्यापार आरंभ किया। उसने निम्न इकाइया स्थापित की:

1. महाराष्ट्र राज्य मे युनिट A (SEZमें) तथा युनिट B (गैरSEZमें)
2. दिल्ली मे यूनिट C
3. गोवा राज्य मे यूनिटD तथा E

श्री पप्पू सिंह ने आपको राज्य का निर्धारण तथा उसे GST के अन्तर्गत कितने पंजीकरण लेने की आवश्यकता है, में सहायता करने के लिए अप्रोच किया है (यह मान कर कि वह

© The Institute of Chartered Accountants of India

प्रत्येक राज्य मे करयोग्य आपूर्ति कर रहा है तथा उसकी योग आपूर्ति न्यूनतम सीमा से अधिक हैः

(a) महाराष्ट्र-2: दिल्ली-1, गोवा–एचछिक 1 अथवा 2

(b) महाराष्ट्र-एच्छिक 1 अथवा 2: दिल्ली-1, गोवा-एचछिक 1 अथवा 2

(c) महाराष्ट्र-1: दिल्ली-1, गोवा-1

(d) महाराष्ट्र-2: दिल्ली-1, गोवा-2

9. एक अनिवासी करयोग्य व्यक्ति को पंजीकरण के लिए आवेदन करना होता है:

(a) तिथि जब वह पंजीकरण के लिए दायी हो जाता है से30 दिवस के अंदर

(b) तिथि जब वह पंजीकरण के लिए दायी हो जाता है से60 दिवस के अंदर

(c) व्यापार को आरंभ करने से कम से कम 5 दिवस पहले

(d) उपरोक्त मे से कोई भी नही

10 निम्न मे से किस गतिविधि को नाही तो वस्तु, नाही सेवा की आपूर्ति माना जाता है?

(i) व्यापार सम्पत्ति का स्थायी स्थानांतरण जहां पर इनपुट कर क्रेडिट को इस प्रकार की संपत्ति पर प्राप्त किया है।

(ii) बौद्धिक सम्पदा अधिकार का अस्थायी स्थानांतरण

(iii) मृतक का परिवहन

(iv) रोजगाार के दौरान एक कर्मचारी द्वारा नियोक्ता को आपूर्ति

(a) (i) तथा (iii)

(b) (ii) तथा (iv)

(c) (i) तथा (ii)

(d) (iii) तथा (iv)

11. परीक्षण करें क्या निम्न स्वतंत्र मामलों मे आपूर्तिकर्ता पंजीकृत होने के लिए दायी हैः

(i) आसाम का राघव रेडीमेड कपड़ों की अंतःराज्य करयोग्य आपूर्ति मे एकनिष्ट रूप से लिप्त है। उसकी आसाम शोरूम में वर्तमान वित्तीय वर्ष में टर्न ओवर `28लाख है। उसकी त्रिपुरा में एक अन्यशोरूम से चालू वित्त वर्ष में टर्न ओवर `11 लाख है।

(ii) पंजि गोवा का पुलकित जूतों की अंतःराज्य करयोग्य आपूर्ति में एकनिष्ट लिप्त है उसकी चालू वित्तीय वर्ष में कुल टर्न ओवर ` 22 लाखहैं।

(iii) हिमाचल प्रदेश का हर्षित पान मसाला की अंतराज्य आपूर्ति में एकनिष्ट रूप से लिप्त है। उसकी चालू वित्तीय वर्ष मे कुल टर्नओवर `24लाख है।

(iv) आसाम का अंकित एकनिष्ट रूप से करयोग्य सेवा की अंतःराज्य आपूर्ति में लिप्त है। उसकी चालू वित्तीय वर्ष मे कुल टर्न ओवर `25लाख है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

(v) आसाम का संचित दोनो कर योग्य वस्तु तथा सेवा की अंतःराज्य आपूर्ति मे लिप्त है। उसकी वर्तमान वित्तीय वर्ष मे कुल टर्न ओवर `30 लाख है।

12. श्री अजय का एक पंजीकृत मरम्मत सेंटर है जहाँ पर इलैक्ट्रौनिक वस्तु की मरम्मत/सर्विस की जाती है। उसकी मरम्मत सेंटर राजस्थान राज्य मे स्थित है तथा वह सर्विस की अर्न्तराज्य आपूर्ति करने मे लिप्त नहीं है। उसकी गत वित्तीय वर्ष मे कुल टर्न ओवर `45 लाख है।

CGST अधिनियम 2017के प्रावधान के सदंर्भ में परीक्षण करें क्या श्री अजय चालू वित्तीय वर्ष में संयोजन योजना को चुन सकता है? क्या वह *अधिसूचना संख्या 2/2019 CT (R) दिनांक 07.03.2019*के अन्तर्गत कर का रियायती भुगतान को प्राप्त करने के लिए पात्र है। श्री अजेय को उपलब्ध कर का भुगतान का विकल्प पर विचार कर उसके द्वारा भुगतान भोग्य कर की राशि की गणना को यह मान कर कि उसकी चालूवित्तीय वर्ष मे कुल टर्नओवर `35 लाख हुए।

क्या आपका उत्तर भिन्न होगा यदि अजय मध्य प्रदेश राज्य से मरम्मत सेवा को प्रदान करने के लिए आवश्यक कुछ मदो की पूर्ति करता है?

13. निम्न स्वतंत्र मामलोंमें CGST अधिनियम 2017के अन्तर्गत इनपुट कर केडिट की उपलब्धता के सबंध मे सलाह देवें।

(i) AMT Co. Ltd. में कर्मचारियों का आवास से कार्यालय तथा वापिस कर्मचारियों का परिवहन के लिए 16 व्यक्तियो की सिटिंग मामला वाली मिनी बस का क्रय किया।

(ii) एक निर्माणी कम्पनी Bangur Ceramics Ltd. ने देश के अंदर विभिन्न लोकेशन पर स्थित डीलर्ज को फेक्टटी से अपनी निर्मित वस्तु का परिवहन के लिए दो ट्रक का क्रय किया।

(iii) "Hans Premium"जो चाणक्यपुरी दिल्ली में लक्ज़री कार में डील करता है ग्राहकों को बिक्री के लिए 5 स्कोडा वी आर एस कार का क्रय किया।

(iv) Sun & Moon Packers Pvt. Ltd. ने अपनेकारखाना में कैंटीन को चलाने के लिए बाहरी खान पान सेवा को प्राप्त किया। फैक्टटी अधिनियम 1948 कम्पनी को अपनी कैंटीन में स्थापित करने के लिए कहता है।

14. M/s. Flow Pro ने BP Ltd.को एक मशीन बेची। इसने इस सबंध में निम्न विवरण प्रदान कियेः–

क्र॰ सं॰	विवरण	`
(i)	मशीन की कीमत(कर तथा सांयोगिक प्रभार को छोड़कर)	30,000
(ii)	मशीन तृतीय पक्ष निरीक्षण के तहत थी। निरीक्षण प्रभार को BP Ltd द्वारा सीधे निरीक्षण एजेंसी को भुगतान किया।	5,000
(iii)	मशीन की सुपुर्दगी के लिए भाड़ा प्रभार (M/s Flow Pro BP Ltd's	2,000

© The Institute of Chartered Accountants of India

	premisesका परिसर मे वस्तु की सुपुर्दगी के लिए सहमत हुआ।	
(iv)	कुशलता विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत मशीन की बिक्री पर राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सहायता	5,000
(v)	इवांयस में रिकार्डिड तथा कीमत परBP Ltd. द्वारा 2% का बट्टा दिया।	

नोट: क्रम संख्या(ii) तथा (v) मे दी गयी मदों कोक्रम संख्या (i) की कीमत पर विचार नही किया।

M/s Flow Pro द्वारा BP Ltd. को की गयी करयोग्य आपूर्ति के मूल्य का निर्धारण करें।

15. कारण सहित वर्णित करें क्या निम्न स्वतंत्र मामलोंमेंGSTभुगतान योग्य है:-

(i) राष्ट्रीय टीम का क्युरेटर के रूपमें मान्यता प्राप्त क्रीड़ा संस्था को प्रदान सेवा

(ii)मिटर केब में यात्री का परिवहन के जरिये प्रदान सेवा

(iii) सार्वजनिक सुविधाओं के जरिये सेवा जैसे शौचालय की सुविधा का प्रावधान

16. Mahak Sons इलैक्ट्रोनिक मदों का पंजीकृत आपूर्तिकर्ता है तथा नियमित योजना के अन्तर्गतGST का भुगतान करता है। 15thजुलाई 20XXको Mahak Sons इलैक्ट्रोनिक मदों की प्रेषण की आपूर्ति के लिए Sunder Trader से आर्डर प्राप्त किया। Mahak Sons ने 20जुलाई 20XXतक प्रेषण को तैयार कर दिया। प्रेषण के लिए इवांयस को अगले दिवस 21जुलाई 20XXकोजारी किया।Sunder Tradersतुरंत प्रेषण को एक एकत्रित नहीं कर सका। Sunder Trader ने Mahak Sons की परिसर से 30जुलाई 20XXको प्रेषण को एकत्रित किया तथा उसी तिथि को भुगतान का चैक सौंप दिया। उक्त भुगतान को Mahak Sons की पुस्तकों में31जुलाई 20XXको प्रविष्ट किया तथा राशि को उसका बैंक खाता में 1अगस्त 20XXको क्रेडिट किया।

आपको कर के भुगतान के उद्देश्य के लिए इलैक्ट्रोनिक मदों की आपूर्ति का निर्धारण करना है।

17. एक पंजीकृत आपूर्तिकर्ता ने 30 जून 20XX को समाप्त त्रैमासिक में ग्राहक श्रीP को निम्न करयोग्य आपूर्ति की.

दिनाक	बिल संख्या	विवरण	इंवायस मुल्य (GST सहित) [`]
5 अप्रैल 20XX	102	नोटबुक [10 संख्या मे]	1,200
10 मई 20XX	197	चार्ट पेपर [संख्या मे4]	600
20 मई 20XX	230	रंग [2 पैकेट]	500
2 जून 20XX	254	पोस्टर कलर [5 पैकेट]	900
22 जून 20XX	304	पेंसिल डिब्बे [4 सेट]	700

© The Institute of Chartered Accountants of India

बिल संख्या 102, 230 तथा 254के संबंध मे वस्तु को P द्वारा वापिस कर दिया। आपको ABC Ltd. को सलाह देनी है क्या यह तीन इंवायस के विरूद्ध एकीकृत क्रेडिट नोट जारी कर सकती है।

18. वस्तु के आपूर्तिकर्ता श्री Xनियमित योजना के अन्तर्गत GST का भुगतान करता है। विभिन्नशीर्ष के अन्तगर्त उपलब्ध इनपुट कर क्रेडिट तथा आउटपुट कर दायित्व निम्न है:

शीर्ष	आउटपुट कर दायित्व	इनपुट कर क्रेडिट
IGST	2,000	4,000
CGST	800	2,000
SGST/ UTGST	2,500	500

श्री Xद्वारा नकद में भुगतानयोग्य न्यूनतम GST की गणना करें। जैसा आवश्यक हो उपयुक्त मान्यता करें।

सुझाया उत्तर

1. (d)

2. (c)

3. (d)

4. (a)

5. (b)

6. (a)

7. (a)

8. (a)

9. (c)

10. (d)

11. CGST अधियनम 2017की धारा 22जिसे *अधिसूचना संख्या10/2019 CT दिनांक 07.03.2019*के अनुसार,एक आपूर्तिकर्ता राज्य/केंद्रशासित प्रदेश मेंपंजीकृत होने के लिए दायी है, जहां से वह वस्तु तथा/अथवा सेवा की कर योग्य आपूर्ति करता है, यदि एक वित्तीय वर्ष में उसकी योग टर्न ओवर न्यूनतम सीमा से अधिक है। वस्तु का एक निष्ट अंतःराज्य करयोग्य आपूर्ति करने वाले एक व्यक्ति की न्यूनतम सीमा निम्न है:-

(a) मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर तथा नागालैंड के राज्य के लिए`10 लाख

(b) अरूणाचल प्रदेश, मेघालय, पंडुचेरी, सिक्किम, तेलगांना तथा उत्तराखंड के राज्यों के लिए 20लाख रूपये

© The Institute of Chartered Accountants of India

(c) शेष भारत के लिए `40 लाख हलांकि `40 लाख की उच्च न्यूनतम सीमा, आइसक्रीम तथा अन्य खाद्य आइस चाहे उसमें कोकोआ समाहित है अथवा नहीं,पान मसाला तथा तम्बाकू तथा निर्मित तम्बाकू स्थानापन्न की आपूर्ति में लिप्त व्यक्ति पर उपलब्ध नहीं है।

दोनो वस्तु तथा सेवा की आपूर्ति अथवा सेवा की एक निष्ट करयोग्य आपूर्ति करने वाले व्यक्ति की न्यूनतम सीमा निम्न है-

(a) मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर तथा नागालैंड के राज्य के लिए`10 लाख

(b) शेष भारत के लिए `20 लाख

उपरोक्त वर्णित प्रावधान के प्रकाश मे,स्वतंत्र मामलों का उत्तर निम्न है:-

(i) राघव पंजीकरण के लिए उच्च न्यूनतम सीमा अर्थात्`40 लाखके लिए पात्र है क्योंकि वह वस्तु की अंतःराज्य आपूर्ति मे लिप्त है। हलांकि, क्योकि राघव विशेष श्रेणी राज्य अर्थात त्रिपुरासे रेडीमेड कपड़ा की आपूर्ति में लिप्त है, न्यूनतम सीमा `10 लाख तक घट जायेगी। इसलिए राघव GST के अन्तर्गत पंजीकृत करवाने के लिए दायी है क्योंकि उसकी टर्नओवर 10 लाख से अधिक है। आगे, उसे दोनों आसाम तथा त्रिपुरा में पंजीकरण करवाने की आवश्यकता है क्योंकि वह दोनो राज्य में करयोग्य आपूर्ति कर रहा है।

(ii) दिये गये मामले में पंजीकरण के लिए लागू न्यूनतम सीमा `40 लाख है क्योंकि वह एक निष्ट रूप से वस्तुओं की अंतःराज्य करयोग्य आपूर्ति मे लिप्त है। इसलिए, वह GST के अन्तर्गत पंजीकृत होने के लिए दायी नही है

(iii) हर्षित एकनिष्ट रूप से पान मसाला की आपूर्ति मे लिप्त होने के कारण `40 लाख की उच्च न्यूनतम सीमा के लिए पात्र नहीं है। इस मामले में पंजीकरण के लिए लागू न्यूनतम सीमा `20 लाख है। इसलिए हर्षित GST के अन्तर्गत पंजीकरण होने के लिए दायी है।

(iv) यद्यपि अंकित आसाम से डील कर रहा है, वह पंजीकरण की उच्च न्यूनतम सीमा का हकदार नहीं हैक्योंकि यह केवल वस्तु की एक निष्ट आपूर्ति के मामले में लागू है जबकि वह एक निष्टरूप से सेवा को प्रदान करने से लिप्त है। इसलिए इस मामले मे पंजीकरण के लिए लागू न्यूनतम सीमा `20 लाख है तथा अतएव, अंकित GSTके अन्तर्गत पंजीकरण करवाने के लिए दायी है।

(v) क्योंकि संचित दोनो करयोग्य वस्तु तथा सेवा की आपूर्ति मे लिप्त है, इस मामले में पंजीकरण के लिए लागू न्यूनतम सीमा`20 लाख है अतएव संचित GSTके अन्तर्गत पंजीकृत होने के लिए दायी है क्योकि उसकी टर्न ओवर न्यूनतम सीमा से अधिक है।

12. CGST अधिनियम 2017 की धारा 10 प्रदान करती है कि पंजीकृत व्यक्ति जिसकी गत वित्तीय वर्ष में योग टर्न ओवर`1.5 करोड़ (आसाम, हिमाचल प्रेदश तथा जम्मू कश्मीर को छोड़कर विशेष श्रेणी राज्य मे `75लाख है) से अधिक नहीं है, वह भुगतान योग्य कर के स्थान पर निर्दिष्ट दर पर गणना राशि के भुगतान का विकल्प चुन सकता है। यद्यपि

© The Institute of Chartered Accountants of India

यदि इस प्रकार का पंजीकृत व्यक्ति रेस्त्रां सेवा के अलावा सेवा की आपूर्ति में लिप्त है, वह संयोजन लेवी (composite levy) को चुनने के लिए पात्र नहीं होगा।

दिये गये मामले में क्योंकि श्री अजय मरम्मत सेवा का आपूर्तिकर्ता है, वह संयोजन योजना के लिए पात्र नही है, चाहे यदि गत वित्तीय वर्ष में उसकी योग टर्न ओवर `1.5 करोड़ से अधिक नहीं है। इसलिए उसे लागू दरों पर नियमित प्रावधान के अन्तर्गत कर दायित्व का निर्वाहन करना होगा।

हलांकि 01.04.2019 के प्रभाव में *अधिसूचना संख्या 2/2019 CT (R) दिनांक 07.03.2019* के द्वारा एक पंजीकृत व्यक्ति को विकल्प प्रदान किया है जिसकी गत वित्तीय वर्ष मे कुल टर्न ओवर ` 50 लाख तक है संयोजन योजना के अन्तर्गत कर के भुगतान के लिए पात्र नहीं है तथा जो निर्दिष्ट शर्तों के तहत किसी वित्तीय वर्ष में 1अप्रैल को अथवा पश्चात `50 लाख की कुल टर्न ओवर तक वस्तु तथा/अथवा सेवा की प्रथम आपूर्ति पर 3% दर से (CGST+ SGST/UTGST)] की 6% पभावी दर से भुगतान करेगा।

इसलिए, उपरोक्त वर्णित प्रावधान के मत में, श्री अजय *अधिसूचना संख्या 2/2019 CT (R) दिनांक 07.03.2019* के अन्तर्गत कर की रियायती भुगतान के लाभ को प्राप्त करने के लिए पात्र है क्योंकि उसकी गत वित्तीय वर्ष मे कुल टर्न ओवर `50लाख से अधिक नहीं है तथा वह संयोजन योजना को चुनने के लिए पात्र नहीं है।

इसलिए *अधिसूचना संख्या2/2019 CT (R) दिनांक07.03.2019*के अन्तर्गत उसके द्वारा भुगतान योग्य कर की राशि` 2,10,000 [`35 लाख का 6%] है।

एक पंजीकृत व्यक्ति *अधिसूचना संख्या 2/2019 CT (R) दिनांक 07.03.2019*को चुन नही सकता यदि वह किसी अर्न्तराज्य बाहरी आपूर्ति को करने में लिप्त है। यद्यपि वस्तुओं की अर्न्तराज्य पूर्ति पर कोई सीमा नहीं है। चाहे अजय मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य से कुछ मदों में पूर्ति करता है।

13. (i) CGST अधिनियम 2017 की धारा17(5) 13 व्यक्तियों(चालक सहित) से अधिक नहीं की अनुमोदित सीटिंग क्षमता वाले व्यक्तियो का परिवहन के लिए मोटर वाहन के संबंध मे इनपुट कर क्रेडिट को ब्लॉक करता है सिवाय जब उन्हे निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए प्रयुक्त किया जा रहा है।

क्योकि दिये गये मामले मे मिनि बस की सिटिंग क्षमता 16 व्यक्तियों की है, उस पर इनपुट कर क्रेडिट ITC को ब्लॉक नही किया जायेगा।

(ii) CGST अधिनियम 2017 की धारा 17(5),कुछ अपवाद के साथ व्यक्तियो का परिवहन के लिए मोटर वाहन के संबंध मे इनपुट कर क्रेडिट को ब्लॉक करता है। इसलिए वस्तु का परिवहन के लिए मोटर वाहन पर ITC की बिना शर्त अनुमति है।

इसलिए, Bangur Ceramics Ltd द्वारा देश के अंदर विभिन्न लोकेशन पर स्थित डीलर्ज को फेक्टरी से निर्मित वस्तु के परिवहन के लिए क्रय ट्रक पर ITC की अनुमति है।

(iii) CGST अधिनियम 2017 की धारा 17(5), 13 व्यक्तियो (चालक सहित), से अधिक नहीं, की अनुमोदित सिटिंग क्षमता वाले व्यक्तियो का परिवहन के लिए मोटर वाहन के

© The Institute of Chartered Accountants of India

सबंध मे इनपुट कर क्रेडिट को ब्लॉक करता है सिवाय जब उनका इस प्रकार का मोटर वाहन की आगे की आपूर्ति के लिए उपयोग किया जाता है।

कार का डीलर्ज होने के कारण, "Hans Premium" ने आगे आपूर्ति के लिए कार का क्रय किया है। इसलिए इस प्रकार की कार पर ITC की अनुमति है चाहे सिंटिग क्षमता 13 से कम है।

(iv) CGST अधिनियम 2017 की धारा 17(5)बाहरी खानपान सेवा के संबंध मे इनपुट कर क्रेडिट को ब्लॉक करता है। यद्यपि इस प्रकार की सेवा पर ITCउपलब्ध है जब उसे वैधानिक दायित्व के अन्तर्गत इसके कर्मचारियों को नियोक्ता द्वारा प्रदान किया जा रहा है।

इसलिए, उपरोक्त वर्णित प्रावधान के मत मे Sun & Moon packers Pvt. Ltd. को इसके द्वारा प्राप्त बाहरी खानपान सेवा के सबंध मे ITC को प्राप्त कर सकता है क्योंकि इसे वैधानिक दायित्व के अन्तर्गत प्रदान किया जा रहा है।

14. करयोग्य आपूर्ति का मूल्य की गणना

विवरण	`
मशीन की कीमत (कीमत ` 30,000 - ` 5,000 सहायता) [नोटा-1]	25,000
तृतीय पक्ष निरीक्षण प्रभार [नोट-2]	5,000
मशीन की सुपुर्दगी के लिए भाड़ा प्रभार [नोट-3]	2,000
योग	32,000
घटायें:`30,000 जो BP Ltd. से वसूल कीमत है, पर 2% की दर से छूट[नोट -4]	600
कर योग्य आपूर्ति का मूल्य	31,400

नोट:-

1. क्योंकि सहायता को राज्य सरकार द्वारा प्राप्त किया जा रहा है, यहCGST अधिनियम 2017 की धारा 15 के अन्तर्गत कर योग्य मूल्य पर पहुँचने के लिए कटौती योग्य है।
2. कोई राशिजो जिसका इस प्रकार की आपूर्ति के सबंध मे भुगतान के लिए दायी है परन्तु प्राप्तकर्ता द्वारा उत्पन्न किया हैCGST अधिनियम 2017 की धारा 15 के अन्तर्गत आपूर्ति के मूल्य में सम्मिलित होगी।
3. क्योंकि भाड़ा की व्यवस्था आपूर्तिकर्ता का दायित्व है यह संयोजन आपूर्ति का मामला है तथा इसलिए, भाड़ा प्रमार को प्रमुख आपूर्ति का मूल्य में जोड़ा जाता है।
4. आपूर्ति के समय अथवा पहले दी गयी छूट यदि इवांयस में रिकार्डिड है. CGST अधिनियम 2017 की धारा 15 के अन्तर्गत आपूर्ति के मूल्य से कटौती योग्य है।

15. (i) एक मान्यता प्राप्त क्रीडा संस्था द्वारा आयोजित क्रीडा स्पर्द्धा में सहभागिता के लिए खिलाड़ी, रेफ्री अम्पायर, कोच अथवा टीम प्रबन्धक के रूप मे एक व्यक्ति द्वारा मान्यता प्राप्त क्रीडा संस्था को प्रदान सेवा *अधिसूचना संख्या 12/2017 CT(R)*

© The Institute of Chartered Accountants of India

*दिनांक28.06.2017*के जरिये विमुक्त है। इसलिए,राष्ट्रीय टीम का क्युरेटर के रूप में मान्यता प्राप्त क्रीड़ा संस्था को प्रदान सेवा के मामले मेंGST भुगतानयोग्य है।

(ii) मीटर कैब के द्वारा समान के साथ अथवा बिना यात्रियों का परिवहन की सेवा *अधिसूचना संख्या 12/2017 CT(R) दिनांक 28.06.2017*के जरिये विशेष रूप से विमुक्त है।

(iii) सार्वजनिक सुविधाएं जैसे स्नानगृह, शौचालय,मूत्रालय की सुविधाओं के रूप में प्रावधान के जरिये सेवा GST से दायी नही है क्योंकि यह विशेष रूप से *अधिसूचना संख्या 12/2017 CT(R) दिनांक 28.06.2017* के अनुसार विमुक्त है। इसलिए इस मामले मेंGSTभुगतानयोग्य नहीं है।

(iv) एक फ्रेचाइजी जो मान्यता प्राप्त क्रीडा संस्था नहीं है,को एक खिलाडी द्वारा प्रदान सेवा करयोग्य है क्योंकि यह *अधिसूचना संख्या12/2017 CT(R) दिनांक 28.06.2017* के अन्तर्गत विमुक्त नहीं है। इसलिए इस मामले मेGSTभुगतानयोग्य है।

16. CGST अधिनियम, 2017 की धारा 12(2)के अनुसार, वस्तुओं के संबंध मे आपूर्ति का समय निम्न दो तिथियो में से पहले होगा:-

(a) इवांयस को जारी करने की तिथि/अंतिम तिथि जिस पर इवांयस को CGST अधिनियम 2017की धारा 31 के अनुसार जारी करना आवश्यक है।

(b) भुगतान की प्राप्ति की तिथि

आगे *अधिसूचना संख्या66/2017 CTदिनांक 15.11.2017*के अनुसार एक पंजीकृत व्यक्ति को(संयोजन आपूर्तिकर्ता को छोड़कर)धारा 12(2)(a)मे निर्दिष्ट आपूर्ति के समय पर अर्थात इवांयस को जारी करने की तिथि अथवा अंतिम तिथि जब धारा 31के सदंर्भ में इवांयस को जारी करना है, वस्तुओं की बर्हिपूर्ति पर *GST* का भुगतान करना होता है।

धारा 31(1)के अनुसार, इवांयस को वस्तु का हटाने के समय जहां पर आपूर्ति में वस्तु की मूवमेंट लिप्त है, के समय अथवा उससे पहले/वस्तु की सुपुर्दगी/प्राप्तकर्ता को वस्तु उपलक्ष्य करवाने के समय जारी करने की आवश्यकता है।

इस मामले में, इवांयस को वस्तु के हटाने से पूर्व जारी किया है तथा इसलिए यह धारा 31(1) के अन्तर्गत निर्धारित समय सीमा के अंदर है। इसलिए, कर के भुगतान के उद्देश्य के लिए आपूर्ति का समय इवांयस को जारी करने की तिथि है जो 21stजुलाई 20XXहै।

17. जहाँ पर किसी वस्तु तथा/अथवा सेवा की आपूर्ति के लिए दो अथवा अधिक इवांयस को जारी किया है तथा

(a) उस कर इवांयस मे वसूल कर/करयोग्य मूल्य इस प्रकार की आपूर्ति के संबंध के कर योग्य मूल्य/भुगतानयोग्य कर से अधिक है, अथवा

(b) जहाँपर आपूर्ति वस्तु को प्राप्तकर्ता द्वारा वापिस किया, अथवा

(c) जहाँ आपूर्ति वस्तु तथा/अथवा सेवा को त्रुटिपूर्वक पाया

© The Institute of Chartered Accountants of India

पंजीकृत व्यक्ति जिसने इस प्रकार की वस्तु तथा/अथवा सेवा की आपूर्ति की है, निर्धारित विवरण को समाहित एक वित्तीय वर्ष में की गयी आपूर्ति के लिए प्राप्तकर्ता को एक अथवा अधिक क्रेडिट नोट जारी कर सकता है।

इसलिए व्यक्तिगत इवांयस को जोड़े बिना एक वित्तीय वर्ष मे जारी बहु इवांयस के सबंध मे एक(एकीकृत) अथवा ज्यादा क्रेडिट नोट को जारी किया जा सकता है।

अतएव, उपरोक्त वर्णित प्रावधान के मत मे M/s ABC Ltd. सभी तीन इवांयस के संबंध मे वापिस वस्तु के लिए एकीकृत क्रेडिट नोट जारी कर सकती है।

18. श्री X अपनी आउटपुट कर दायित्व के भुगतान के लिए ITC का उपयोग कर सकता है। ITC का प्रयुक्त करने का क्रम निम्न है:-

(i) IGST क्रेडिट को पहले IGSTके भुगतान की तरफ प्रयुक्त करना चाहिए।

(ii) शेष IGST क्रेडिट यदि कोई है को किसी क्रम तथा किसी अनुपात मेंCGST तथा SGST/UTGST की भुगतान के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है।

(iii) IGST का समस्तITC को CGST तथा SGST/UTGST का ITCका उपयोग से पूर्व पूर्ण रूप से प्रयुक्त करना चाहिए।

(iv) CGST काITC को उसी क्रम मे CGST तथा IGST के भुगतान के लिए प्रयुक्त करना चाहिए।

(v) SGST/UTGSTका ITC को उसी क्रम मे SGST/UTGST तथा IGST के भुगतान के लिए प्रयुक्त करना चाहिए। यद्यपि SGST/UTGSTका ITC को IGSTके भुगतान के लिए तबही प्रयुक्त करना चाहिए जब CGST का ITC को पूर्ण रूप से प्रयुक्त कर लिया।

नकद मे भुगतान योग्य न्यूनतम GST की गणना

विवरण	**CGST (`)**	**SGST (`)**	**IGST (`)**
GST भुगतान योग्य	800	2,500	2,000
घटायेंITC	-	(2,000)-IGST	(2,000)-IGST
	(800)-CGST	(500) – SGST	____
नकद में भुगतान योग्य शुद्धGST	शून्य	शून्य	शून्य

क्योंकि CGST दायित्व का भुगतान के लिए CGST का ITC मे पर्याप्त शेष उपलब्ध है तथा SGST तथा CGST के ITC के क्रास उपयोग की आज्ञा नहीं है। नकद बाहरी प्रवाह को न्यूनतम करने के लिए SGST का भुगतान (IGSTदायित्व का भुगतान करने के पश्चात्) के लिए IGSTका उपयोग लाभप्रद है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

नोट: **GST**कानून इसके आरंभ से बार बार बदलाव के तहत है। यद्यपि **FAQ** अथवा अन्यथा के जरिये कई स्पष्टीकरण को जारी किया। इसके कई प्रावधान पर बदलती व्याख्या के कारण कई मुद्दे उत्पन्न होते हैं। इसलिए, लिये गये मत पर निर्भर उपरोक्त प्रश्न के वैकल्पिक उत्तर संभव हैं।

© The Institute of Chartered Accountants of India